उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक दिनांक 30.06.2026 का कार्यवृत्त

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की धारा–21(1) के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में निम्नांकित सदस्य नामित हैं:–

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा	(1)	**पदेन**– कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ख) प्रति–कुलपति, यदि कोई हो	(2)	**पदेन**– प्रति–कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ग) संकायों के अध्यक्ष	(3)	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(4)	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(5)	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(6)	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(7)	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (दंत विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(घ) विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठतम आचार्य (संकायाध्यक्षों से भिन्न)	(8)	डॉ0 राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग।
	(9)	डॉ0 शैलेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी विभाग।
(ङ) कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसाय से राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विख्यात तीन व्यक्ति	(10)	डॉ0 संजय काला, प्रोफेसर–सर्जरी एवं प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर
	(11)	प्रो0 आर0के0 सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, इमरजेंसी मेडिसिन विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ
	(12)	डॉ0 अमिता पाण्डेय, प्रोफेसर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ
(च) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0	(13)	**पदेन**
(छ) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का प्रधानाचार्य	(14)	डॉ0 प्रशान्त गुप्ता, प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा।
(ज) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	(15)	**पदेन**
(झ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिए उसके द्वारा नामित उस संस्थान का एक आचार्य	(16)	**पदेन**
(ञ) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अथवा नामित व्यक्ति	(17)	**पदेन**
धारा 22–(9) सचिव–कार्य परिषद कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	(18)	**पदेन**– कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की सोलहवीं बैठक दिनांक 30.06.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से कुलपति, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष–कार्य परिषद की अध्यक्षता में आयोजित करने के संबंध में कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को पत्र प्रेषित किया गया।

दीपक वर्मा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

दिनांक 30.06.2026 को कार्य परिषद की बैठक में निम्नांकित द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

(1)	प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह, कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	अध्यक्ष
(2)	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(3)	डॉ0 रमाकान्त यादव, प्रति–कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(4)	डॉ0 प्रशान्त गुप्ता, प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(5)	प्रो0 आर0के0 सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, इमरजेंसी मेडिसिन विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(6)	डॉ0 अमिता पाण्डेय, प्रोफेसर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(7)	डॉ0 आदेश कुमार, संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) एवं कार्यवाहक कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(8)	प्रो0 बिजी बिजू, संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(9)	डॉ0 जितेन्द्र प्रसाद मथुरिया, संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(10)	डॉ0 प्रवीण कुमार, संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(11)	डॉ0 अतुल कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष (दंत विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(12)	डॉ0 राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(13)	डॉ0 शैलेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(14)	श्री दीपक वर्मा, कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य सचिव
(15)	श्री जगरोपन राम, वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	विशेष आमंत्री
(16)	डॉ0 अमित सिंह, चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	–

इस प्रकार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक दिनांक 30.06.2026 में कुल 18 में से 14 सदस्य उपस्थित रहे एवं 4 सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग न कर सकने का संज्ञान लेते हुए गणपूर्ति (उपस्थिति पत्रक संलग्न) होने पर सर्वप्रथम कुलपति, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष–कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद के सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया।

मा0 कुलाधिपति महोदय, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–।/1312508/2026/71–4099/4/2021 दिनांक 29.04.2026 द्वारा उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम 2015 की धारा–21(1)(ङ) के अंतर्गत पूर्व नामित दो सदस्यों के कार्यकाल समाप्त होने पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में 02 नवीन सदस्य नामित किए गए हैं। कुलपति/अध्यक्ष–कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में पूर्व नामित 02 सदस्यों (डॉ0 एस0एन0 शंखवार, विभागाध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ एवं प्रो0 राजेश कश्यप, विभागाध्यक्ष, हिमेटोलॉजी विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ) के कार्यकाल समाप्त होने पर निवर्तमान सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा कार्य परिषद में नामित 02 नवीन सदस्यों (प्रो0 आर0के0 सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, इमरजेंसी मेडिसिन विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ एवं डॉ0 अमिता पाण्डेय, प्रोफेसर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ) का स्वागत किया गया।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

कुलपति/अध्यक्ष–कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद में नवीन सदस्यों के नामित होने के क्रम में विश्वविद्यालय के संक्षिप्त परिचय तथा माह अगस्त–2025 से अब तक विश्वविद्यालय की प्रगति के संबंध में मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया।

तदोपरान्त मा0 कुलपति महोदय/अध्यक्ष–कार्य परिषद की अनुमति से कुलसचिव/सचिव–कार्य परिषद द्वारा मा0 कार्य परिषद के समक्ष बिन्दुवार एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। बैठक में एजेण्डावार प्रस्तावों पर विचार–विमर्श उपरान्त मा0 कार्य परिषद की कार्यवाही और लिये गये निर्णय निम्नवत् हैं:–

<table>
<tr><th>एजेन्डा बिन्दु/विषय</th><th>एजेण्डा टिप्पणी</th></tr>
<tr><td><u>एजेण्डा बिन्दु 16–1</u>
कार्य परिषद की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि</td><td>उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि की जानी अपेक्षित है।
<u>प्रस्तावः</u> कार्य परिषद की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 का कार्यवृत्त कार्य परिषद के सदस्यों को उपलब्ध कराया गया था,. किसी भी सदस्य से कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उक्त के दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना चाहें।</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।</td></tr>
<tr><td><u>एजेण्डा बिन्दु 16–2</u>
कार्य परिषद की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या</td><td>उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या निम्नवत् है:–
<table>
<tr><th>एजेण्डा बिन्दु</th><th>निर्णय का सारांश</th><th>अनुपालन आख्या</th></tr>
<tr><td>(15–4)</td><td>श्री राजीव कुमार की दण्ड की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् श्री राजीव कुमार को जूनियर स्टोर ऑफिसर, लेवल–06 से असिस्टेन्ट स्टोर ऑफिसर, लेवल–07 में पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में उक्त प्रस्तुत प्रकरण एवं अन्य कैडरों में भी प्राप्त समान आपत्तियों पर विस्तृत अध्ययन व पुराने रिकॉर्ड को देखे जाने की आवश्यकता के क्रम में उच्च स्तरीय समिति का गठन किये जाने के संबंध में।
<u>निर्णयः–</u> मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण एवं अन्य कैडरों से भी प्राप्त समान आपत्तियों पर विस्तृत अध्ययन व पुराने रिकॉर्ड को देखे जाने की आवश्यकता के क्रम में उच्च स्तरीय समिति का गठन किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। गठित की जाने वाली समिति में (1) प्रो0 संदीप भट्टाचार्य, उप कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ (2) श्री विपिन कुमार, मुख्य लेखाधिकारी (3) मो0 माहताब आलम खाँ, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को नामित करने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td><td>कार्यान्वित (Implemented) (कार्यालय आदेश सं0 1135 दिनाक 11.06.2026)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	(15–5)	**डॉ० जसवीर सिंह, प्रोफेसर (जू० ग्रेड), आर्थोपेडिक्स विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की प्रभावी तिथि 01.07.2018 के आधार पर प्रोफेसर (जू० ग्रेड) पद पर पदोन्नति की तिथि संशोधित कर 01.07.2021 किए जाने के संबंध में।** निर्णयः– मा० कार्य परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	**कार्यान्वित (Implemented)** (कार्यालय आदेश सं० 1040 दिनाक 01.06.2026)
	(15–6)	**विश्वविद्यालय के एन०पी०एस० (NPS) आच्छादित गैर–शैक्षणिक कार्मिकों को सेवानिवृत्त उपदान, मृत्यु उपदान एवं सेवानैवृत्तिक अन्य लाभ प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम 2015 की धारा–48 एवं संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान प्रथम नियमावली 2011 की धारा–105 में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं० 7/5/2012–पी.एंड.पी.डब्लू(एफ)/बी दिनांक 26.08.2016 द्वारा की गई व्यवस्था को अंगीकृत करने के संबंध में।** निर्णयः– मा० कार्य परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	**कार्यान्वित (Implemented)** (कार्यालय आदेश सं० 1197 दिनाक 17.06.2026)
	(15–7)	**विश्वविद्यालय की मा० कार्यपरिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 08.12.2025 के एजेण्डा बिन्दु 14–22 में डॉ० अनिल कुमार ईरी, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग एवं तत्कालीन अपर चिकित्सा अधीक्षक को कोविड–19 के दौरान विभिन्न सामग्रियों/औषधियों के क्रय हेतु समय–समय पर स्वीकृत अग्रिम से सामग्रियों/औषधियों के क्रय में किये गये व्यय का समायोजन प्रस्तुत न करने संबंधी प्रकरण की जाँच हेतु पूर्व में नामित जाँच अधिकारी के स्थान पर किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी को जाँच अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।** निर्णयः– मा० कार्य परिषद द्वारा प्रकरण की जाँच हेतु पूर्व नामित डॉ० आलोक दीक्षित, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी विभाग के स्थान पर डॉ० सुशील कुमार शुक्ला, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग को जाँच अधिकारी नामित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	**कार्यान्वित (Implemented)** (कार्यालय आदेश सं० 1076 दिनाक 05.06.2026)

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

	(15–11)	**विश्वविद्यालय के ट्रामा बिल्डिंग में स्थापित सी0टी0 स्कैन मशीन एवं प्रस्तावित एम0आर0आई0 की ऑन साइट रिपोर्टिंग/टेली रिपोर्टिंग एवं USG/Doppler USG/USG Guided Biopsy/ Drainage/FNAC इत्यादि हेतु रेडियोलॉजिस्ट की सेवा प्राप्ति विषयक।** **निर्णयः–** हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 में की गई उपर्युक्त संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 20.06.2026 में एजेण्डा बिंदु 2.3 में प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि संविदा पर रेडियोलॉजिस्ट (एम.डी./डी.एन.बी./डी.एम. आर.डी.) की नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार विज्ञापन विज्ञापित कर चयन की कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से पूर्ण की जा रही है।
	(15–14)	**श्री बालेंद्र तिवारी (लाइब्रेरियन ग्रेड–2) एवं श्री गौरव कुमार बाजपेई (लाइब्रेरियन क्लर्क) के मध्य दिनांक 26.02.2026 को हुई मारपीट के प्रकरण में गठित जांच समिति की आख्या के आधार पर श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।** **निर्णयः–** मा0 कार्य परिषद द्वारा जाँच समिति की आख्या एवं निष्कर्ष के आधार पर दोषी कार्मिक (श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लेते हुए प्रकरण की जॉच हेतु डॉ0 संदीप कुमार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग को जाँच अधिकारी तथा श्री अतुल कुमार वर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	**कार्यान्वित (Implemented)** (कार्यालय आदेश सं0 1008 दिनांक 29.05.2026 के द्वारा जाँच अधिकारी व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किए गए हैं, जाँच प्रक्रिया प्रचलन में है)
	(15–16)	**ओपन टेण्डर के माध्यम से CBT परीक्षा संचालन हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किये जाने के साथ–साथ किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान / UPPSC / UPSSSC के माध्यम से चयन की कार्यवाही हेतु द्वितीय विकल्प के रूप में रखे जाने के संबंध में।** **निर्णयः–** ओपन टेण्डर के माध्यम से सी0बी0टी0 परीक्षा संचालन हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किये जाने के साथ–साथ किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान/यूपीपीएससी/यूपीएसएसएस	**कार्यान्वित (Implemented)** (शासन को पत्र सं0 939/E दिनांक 12.06.2026 प्रेषित किया गया है)

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

		सी के माध्यम से चयन की कार्यवाही हेतु द्वितीय विकल्प के रूप में रखे जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमति/अनुमोदन प्रदान किया गया।	
	(15–17)	**श्री सुनील कुमार सेक्सेना, लेक्चरर, बी0आर0आई0टी0, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के विरूद्ध श्री धीरज कुमार, पैरामेडिकल बी0आर0आई0टी0, बैच 2022 के छात्र, पैरामेडिकल द्वारा दिनांक 14.11.2025 को नौकरी दिलवाने के नाम पर रू0 3.00 लाख लिये जाने की शिकायत के संबंध में प्रकरण की प्रारम्भिक जॉच हेतु गठित समिति की आख्या के क्रम में जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने के संबंध में।** **निर्णयः–** मा0 कार्य परिषद प्रकरण में कृत कार्यवाही से अवगत हुई। प्रकरण में श्री सुनील कुमार सेक्सेना, लेक्चरर, बी0आर0आई0टी0, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय की जॉच हेतु डॉ0 मणि कृष्णा, प्रोफेसर, पैथोलॉजी विभाग को जाँच अधिकारी तथा श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। मा0 कार्य परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि संबंधित छात्र के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाये।	**कार्यान्वित (Implemented)** (कार्यालय आदेश सं0 1077 दिनांक 05.06.2026 के द्वारा जाँच अधिकारी व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किए गए हैं, जाँच प्रक्रिया प्रचलन में है)
	(15–18)	**विश्वविद्यालय के कार्मिकों को एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने में आ रही कठिनाई के निवारण हेतु शासन से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद शासन को प्रकरण संदर्भित किये जाने के संबंध में।** **निर्णयः–** विश्वविद्यालय के कतिपय कार्मिकों को पूर्व में 'Satisfactory/Average' ग्रेडिंग प्राप्त होने के कारण एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने में आ रही कठिनाई के निवारण हेतु शासन से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	**कार्यान्वित (Implemented)** (शासन को पत्र सं0 1038/E दिनांक 22.06.2026 प्रेषित किया गया है)

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	(15–19)	**विश्वविद्यालय के 850 KW रूफ टॉप सोलर प्लांट के रखरखाव हेतु निविदा प्रक्रिया में बरती गई घोर लापरवाही एवं उदासीनता के संबंध में श्री के0पी0 सिंह (अधिशासी अभियंता) एवं श्री सुनील कुमार (स्टोर कीपर) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में।** निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में विचार–विमर्श उपरांत श्री के0पी0 सिंह, अधिशासी अभियंता, अभियंत्रण विभाग एवं श्री सुनील कुमार, स्टोर कीपर, सामग्री प्रबंधन विभाग के विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रकरण में जाँच हेतु डॉ0 सोमेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग को जाँच अधिकारी तथा श्री अनिल कुमार पाल, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	**कार्यान्वित (Implemented)** (कार्यालय आदेश सं0 1071 दिनांक 05.06.2026 के द्वारा जाँच अधिकारी व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किए गए हैं, जाँच प्रक्रिया प्रचलन में है)
	(15–20)	**विश्वविद्यालय के 500 बेडेड सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक के विद्युत सब–स्टेशन हस्तांतरण प्रकरण में बरती गई शिथिलता एवं अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं के मध्य विरोधाभासों, समन्वय के पूर्ण अभाव और 01 वर्ष तक पत्रावली लंबित रखने के कारणों से संबंधित तथ्यों के अन्वेषण हेतु Fact Finding Committee के गठन के सम्बन्ध में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।** निर्णयः– मा0 कार्य परिषद उक्त प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही से अवगत हुई तथा Fact Finding Committee की संरचना (1) चिकित्सा अधीक्षक–अध्यक्ष, (2) कुलसचिव के प्रतिनिधि–सदस्य एवं (3) वित्त अधिकारी के प्रतिनिधि–सदस्य; पर सहमति व्यक्त करते हुए Fact Finding Committee को तकनीकी/संबंधित अन्य विषयों हेतु अपने स्तर से सदस्य (वाह्य/आन्तरिक) सम्मिलित करने हेतु अधिकृत किये जाने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया। निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक में Fact Finding Committee की आख्या से कार्य परिषद को अवगत कराया जाये।	**कार्यान्वित (Implemented)** (कार्यालय आदेश सं0 849 दिनांक 18.05.2026 के द्वारा Fact Finding Committee का गठन किया गया) • Fact Finding Committee की आख्या के क्रम में विस्तृत **एजेण्डा बिंदु 16–24** पर प्रस्तुत है।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

(15–21)	**विश्वविद्यालय के ग्रुप 'A' एवं ग्रुप 'B' (पैरामेडिकल) के गैर शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों (चिकित्सक एवं नर्सिंग संवर्ग को छोड़कर) को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, के समकक्ष HPCA/PCA अनुमन्य किये जाने के संबंध में।** निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	**कार्यान्वित (Implemented)** (पत्र सं0 658/E दिनांक 18.05.2026)
	टेबल एजेण्डा (मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)	
टेबल एजेण्डा – 15.2(T)	**विश्वविद्यालय में पूर्व में फर्म मे0 टी0सी0एस0 कम्पनी के माध्यम से करायी गयी विभिन्न परीक्षाओं में वित्तीय अनियमितता एवं अन्य संबंधित बिंदुओं की जाँच हेतु गठित जाँच समिति की रिपोर्ट मा0 कार्य परिषद के समक्ष निर्णयार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देश के संबंध में प्रस्तुत किया जाना।** निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में गठित जाँच समिति द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया तथा आगामी बैठक में कृत कार्यवाही के संबंध में अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गई।	• प्रकरण में समस्त संबंधित (कुल 06) को कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.06.2026 जारी किए गए, जिसमें से 02 कार्मिकों के स्पष्टीकरण प्राप्त हुए तथा शेष 04 से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए। • प्रकरण की विस्तृत जाँच की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रकरण में जाँच संस्थित करने के संबंध में विस्तृत **एजेण्डा 16–21** के अन्तर्गत प्रस्तुत है।
टेबल एजेण्डा– 15.3(T)	**विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं0 37/UPUMS/ Paramedical/Pharmacy/ 2024-25 दिनांक 20.06.2024 के अन्तर्गत की गयी भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त शिकायत के क्रम में प्रकरण की जाँच/तथ्यात्मक परीक्षण किये जाने हेतु गठित जाँच समिति की रिपोर्ट मा0 कार्य परिषद के समक्ष निर्णयार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देश के संबंध में प्रस्तुत किया जाना।** निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में गठित जाँच समिति द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया तथा आगामी बैठक में कृत कार्यवाही के संबंध में अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गई।	• प्रकरण में समस्त संबंधित (कुल 10) को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.05.2026 जारी किए गए, सभी के स्पष्टीकरण प्राप्त हुए। • प्रकरण की विस्तृत जाँच की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रकरण में जाँच संस्थित करने के संबंध में विस्तृत **एजेण्डा 16–22** के अन्तर्गत प्रस्तुत है।
	प्रस्ताव– कार्य परिषद की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 में लिये गये निर्णयों की उपर्युक्त अनुपालन आख्या पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।	

कार्य परिषद का निर्णयः– कार्य परिषद की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 16–3

वित्त समिति की छठी बैठक दिनांक 29.05.2026 में लिये गये निर्णयों को मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के संबंध में।

प्रस्तावना: अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की वित्त समिति की छठी बैठक दिनांक 29.05.2026 को आयोजित की गयी जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में प्रस्तुत किये गये एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नवत हैं:–

एजेण्डा बिंदु–6–1	**वित्त समिति की पाँचवी बैठक दिनांक 22.01.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

वित्त समिति का निर्णय :–

समिति द्वारा वित्त समिति की पाँचवी बैठक दिनांक: 22–01–2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा बिंदु–6–2	**वित्त समिति की पाँचवी बैठक दिनांक 22.01.2026 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**

वित्त समिति का निर्णय :–

वित्त समिति की पाँचवी बैठक दिनांक 22.01.2026 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत हुई एवं विशेष आमंत्री श्री के0पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता द्वारा VRB/VRF AC System की निविदा प्रक्रिया को एक माह में पूर्ण करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

एजेण्डा बिंदु–6–3	**विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज एवं पैरामेडिकल कालेज हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राप्त अनुदान तथा अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय का विवरण के सम्बन्ध में।**

वित्त समिति का निर्णय :–

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज एवं पैरामेडिकल कालेज हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में शासन से प्राप्त अनुदान एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय तथा मेडिकल कालेज एवं पैरामेडिकल कालेज की आय एवम् उससे किये गये व्यय तथा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट की प्राप्तियों एवं व्यय को अवलोकित करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया तथा वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में मेडिकल कालेज हेतु वेतन एवं गैर वेतन मद में विश्वविद्यालय की आय/बचत से किये गये व्यय की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में शासन से प्राप्त अनुदान से विश्वविद्यालय को वापस कर दिया जाये। चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में आवश्यकता होने पर अगली वित्त समिति में निर्धारित एस0ओ0पी0 के माध्यम से व्यय की जाने वाली धनराशि का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव रखा जाये।

एजेण्डा बिंदु–6–4	**विश्वविद्यालय के नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं फार्मेसी संकाय के सदस्यों एवं डिमॉन्स्ट्रेटर एवं रेजीडेंट को विद्या परिषद की तृतीय बैठक दिनांक: 25–09–2018 तथा कार्य परिषद की छठी बैठक दिनांक: 26–09–2018 में कान्फ्रेंस में प्रतिभाग के लिये टी0ए0/डी0ए0/रजिस्ट्रेशन फीस अनुमोदित फीस रू0 10,000.00 तक की सीमा के सम्बन्ध में।**

वित्त समिति का निर्णय :–

वित्त समिति के सदस्यों द्वारा उक्त पर विचार किया गया तथा सहमति व्यक्त की गयी कि उक्त प्रकरण को कार्यपरिषद में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए प्रकरण को शासन को संदर्भित किया जाये।

एजेण्डा बिंदु–6–5	**विश्वविद्यालय की आय/बचत से कराये गये कार्यो के सापेक्ष कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

वित्त समिति का निर्णय :–

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय की आय/बचत से 02 ए0एल0एस0

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	एम्बुलेन्स का क्रय अनुमानित व्यय भार धनराशि रू0 123.10 लाख तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के अध्ययन/ अध्यापन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यो/सेवा हेतु Comprehensive AI-enabled Competency Based Medical Education (CHME)- Aligned Integrated Academics Management System (IAMS) साफ्टवेयर का क्रय, अनुमानित व्यय भार धनराशि रू0 392.00 लाख, जिसमें 05 वर्ष की ए0एम0सी0/O&M की लागत शामिल है तथा अग्निशामक यंत्रों के क्रय हेतु निर्गत क्रयादेश के अनुसार रू0 1452.30 लाख के व्यय के सम्बन्ध में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
	एजेण्डा बिंदु–6–6 — **विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में आने वाले लावारिस, अत्यन्त गरीब मरीजों के तीमारदारों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था विश्वविद्यालय की आय/बचत से कराये जाने के सम्बन्ध में।**
	वित्त समिति का निर्णय :– वित्त समिति के सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि अत्यन्त गरीब मरीजों के तीमारदार आदि को भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय की आय/बचत से अनुमानित रू0 8,65,000.00 प्रतिवर्ष के स्थान पर धनराशि रू0 10,00,000.00 प्रतिवर्ष रखी जाये। तद्क्रम में वित्त समिति द्वारा अनुमति प्रदान की गयी।
	एजेण्डा बिंदु–6–7 — **अन्य बिन्दु – मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।** **कुलसचिव द्वारा की टेबिल एजेण्डा के रूप में श्री धर्मेन्द्र कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री अतुल कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एवं श्री राजेश वर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी के पद के वेतनमान को संरक्षित करते हुए नोशनल आधार पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।**
	वित्त समिति का निर्णय :– वित्त समिति ने संगत प्रकरण में श्री धर्मेन्द्र कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री अतुल कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एवं श्री राजेश वर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को वर्तमान पद के वेतन को संरक्षित करते हुए नोशनल पदोन्नति का लाभ प्रदान करने पर समिति सहमत है। उक्त सहमति कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त लागू होगी।
	विश्वविद्यालय की वित्त समिति की छठी बैठक दिनांक 29.05.2026 का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। **प्रस्तावः** वित्त समिति की छठी बैठक दिनांक 29.05.2026 में एजेण्डा बिंदु 6–1 से 6–7 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें। साथ ही एजेण्डा बिंदु 6–4 के अन्तर्गत वित्त समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने एवं प्रकरण शासन को संदर्भित करने तथा एजेण्डा बिंदु 6–7 के अन्तर्गत प्रकरण में वित्त समिति की सहमति के क्रम में तद्नुसार कार्यवाही हेतु अनुमोदन प्रदान करने व शासन से अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्र प्रेषित करने के संबंध में मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– वित्त समिति की छठी बैठक दिनांक 29.05.2026 में एजेण्डा बिंदु 6–1 से 6–7 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही एजेण्डा बिंदु 6–4 तथा एजेण्डा बिंदु 6–7 के अन्तर्गत प्रकरण में वित्त समिति की संस्तुति के क्रम में तद्नुसार कार्यवाही करने एवं प्रकरण शासन को संदर्भित करने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 16–4 **विद्या परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 16.06.2026 में लिये गये निर्णयों को मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के संबंध में।**	अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 16.06.2026 को आयोजित की गयी जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर विद्या परिषद द्वारा निर्णय गया। बैठक में प्रस्तुत किए गए एजेण्डा एवं लिए गए निर्णयों का विवरण निम्नवत् है:–

एजेण्डा बिंदु 10–(1)	**विद्या परिषद की नौवीं बैठक दिनांक 16.04.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि**

निर्णय :– विद्या परिषद की नौवीं बैठक के कार्यवृत्त पर सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिंदु 10–(2)	**विद्या परिषद की नौवीं बैठक दिनांक 16.04.2026 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या**

निर्णय :– विद्या परिषद की नौवीं बैठक के निर्णयों की अनुपालन आख्या से विद्या परिषद अवगत हुई तथा एजेण्डा की अनुपालन आख्या के विषय में निम्नलिखित निर्देश दिये गये:–

- एजेण्डा बिन्दु 8–(4) Moderation of Examination Question Papers to Minimize Duplication and Ensure Quality के संबंध में संकायाध्यक्ष, चिकित्सा संकाय द्वारा गठित समिति के माध्यम से तैयार एस0ओ0पी0 पर संकायाध्यक्ष समिति एवं रिव्यू समिति के अनुमोदन के उपरान्त आगामी विद्या परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।
- एजेण्डा बिन्दु 9 (4.1) विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय, नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय एवं फॉर्मेसी संकाय में स्थित परीक्षाहॉल को अपडेट करने के सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- एजेण्डा बिन्दु 9(4.2) विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय, नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय, फॉर्मेसी संकाय एवं दंत संकाय की परास्नातक एवं स्नातक पाठ्यक्रमों की विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को ऑनलाईन मूल्यांकन कराने के लिए साफ्टवेयर की आवष्यकता एवं अंकपत्र को आवश्यक स्पेसिफिकेशन के अनुसार होने तथा डिग्री (उपाधि) एवं अंकपत्र की Design, Printing and Paper के लिए फर्म की आवश्यकता के सम्बन्ध में परीक्षा नियंत्रक को उक्त के संबंध में संयुक्त निदेशक सामग्री प्रबंधन से समन्वय स्थापित करते हुए क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही करते हुए अग्रिम विद्या परिषद में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए गए।
- एजेण्डा बिन्दु 9(6.4) To consider and approve the Standard Operating Procedure (SOP) for appearing in University Examinations के संबंध में विद्या परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त संकायों द्वारा एस0ओ0पी0 तैयार कर संकायाध्यक्ष समिति एवं रिव्यू समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त आगामी विद्या परिषद में प्रस्तुत किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु 9(7.1) जनरल सर्जरी विभाग में एन0एम0सी0 के दृष्टिगत पी0जी0 सीट में वृद्धि करवाने हेतु गैस्ट्रो सर्जरी विभाग के असि0 प्रोफेसर को सर्जरी विभाग में सम्मिलित करने के संबंध में विभागाध्यक्ष सर्जरी को पत्रावली के माध्यम से एन0एम0सी0 के दृष्टिगत Counting हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त प्रस्ताव पर संकायाध्यक्ष, कुलसचिव एवं माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त कुलसचिव द्वारा आदेश जारी किये जाने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिंदु 10–(3.1)	**कम्युनिटी मेडिसिन विभाग से सम्बन्धित यू0जी0/पी0जी0 पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने हेतु External/ Internal परीक्षकों के संशोधित पैनल का अनुमोदन।**

निर्णय :– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिंदु 10–(3.2)	**कम्युनिटी मेडिसिन विषय में विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षा में अधिकतम अंक अर्जित करने वाले छात्र–छात्राओं को श्रीमती शारदा गुप्ता गोल्ड मेडल प्रदान करने हेतु।**
निर्णय :– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा असहमति व्यक्त की गई तथा विश्वविद्यालय स्तर पर समिति गठित करते हुए एस0ओ0पी0 तैयार करने के निर्देश दिये गये।	
एजेण्डा बिंदु 10–(4)	**विश्वविद्यालय में संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का संचालन एवं लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा समस्त विभागों में आयोजित होने वाली विश्वविद्यालय स्तरीय प्रयोगात्मक परीक्षा दो वाह्य एवं दो आन्तरिक परीक्षकों द्वारा सम्पन्न कराये जाने के अनुमोदन के संबंध मे।**
निर्णय :– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा असहमति व्यक्त करते हुए एन0एम0सी0 के मानकों एवं KGMU, Lucknow में लागू व्यवस्था के अनुसार परीक्षाओं को सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया।	
एजेण्डा बिंदु 10–(5)	**शैक्षणिक सत्र 2026–27 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी (G.N.M.) पाठ्यक्रम की 60 सीटों, डिप्लोमा इन ऑक्ज़ीलरी नर्स मिडवाइफरी (A.N.M.) पाठ्यक्रम की 50 सीटों एवं बैचलर ऑफ फॉर्मेसी (B.Pharm) पाठ्यक्रम की 60 सीटों पर अभ्यर्थियों को प्रवेश क्रमशः अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, महानिदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ एवं डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में।**
निर्णय :– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिंदु 10–(6.1)	**जनरल मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी एवं ई0एन0टी0 विभाग से सम्बन्धित यू0जी0/पी0जी0 पाठ्यकमों की परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने हेतु External/ Internal परीक्षकों एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग के External thesis evaluators के संशोधित पैनल का अनुमोदन।**
निर्णय :– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिंदु 10–(6.2)	**Adoption and implementation of new Bachelor of Pharmacy (B. Pharm.) syllabus (2026)(As per NEP 2020)from academic session 2026-2027.**
निर्णय :– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा पी0सी0आई, नई दिल्ली के G.O. (Ref No: 14-154/2025-PCI dated 30.04.2026 directed implementation of new B.Pharma. syllabus from academic session 2026-27 (as per NEP 2020) by approved Pharmacy institutions – U/s 12 (1) and approved examining authority– U/s12(2)) को अंगीकृत करने हेतु सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।	

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 16.06.2026 का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तावः विद्या परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 16.06.2026 में लिये गये निर्णयों पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– विद्या परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 16.06.2026 में लिये गये निर्णयों पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 16–5

हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 20.06.2026 में की गई संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन के संबंध में।

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 20.06.2026 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा संस्तुति की गईः–

3.1	हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि।
3.2	हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
3.3	हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
3.4	उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई में Cloud-based Vendor Neutral Archive (VNA), Picture Archiving & Communication System (PACS) तथा AI/ML-enabled Radiology Information System (RIS) की स्थापना एवं राज्य के अन्य संस्थानों हेतु Scalable Framework विकसित किए जाने के संबंध में।
3.5	संस्थान के ऑपरेशन थियेटरों (OTs), गहन चिकित्सा इकाइयों (ICUs) एवं अन्य चिन्हित गंभीर देखभाल क्षेत्रों (जैसे Emergency, Labour Room, Cath Lab, Endoscopy, Dialysis Unit, Burn Unit, Blood Bank, CSSD एवं अन्य प्रक्रिया–आधारित एवं गंभीर रोगी देखभाल क्षेत्र) हेतु Powder-Free Gloves को मानक उपयोग सामग्री के रूप में अपनाए जाने के संबंध में।
3.6	चिकित्सालय की आवश्यक सामग्रियों के सुगम, सुरक्षित एवं समयबद्ध परिवहन हेतु 02 लोडर वाहन क्रय किए जाने के संबंध में।
3.7	विश्वविद्यालय परिसर में मरीजों, मरीजों के परिजनों, चिकित्सकों, रेजीडेन्ट्स, अन्य कर्मचारियों एवं छात्र/छात्राओं हेतु मदर डेयरी आउटलेट्स की स्थापना के संबंध में।
3.8	ब्लड बैंक TTI लैब में ID-NAT मशीन (नवीन उपकरण) की स्थापना हेतु M/s POCT Service द्वारा नवीनीकरण के कार्य का प्रस्ताव।
3.9	आकस्मिक दुर्घटनाओं एवं मेडिको–लीगल प्रकरणों से सम्बन्धित मरीजों के समुचित प्रबंधन, अभिलेखीकरण एवं अभिलेखों के रख–रखाव हेतु तैयार की गयी एस0ओ0पी0 के सम्बन्ध में।
3.10	चिकित्सालय में भर्ती निराश्रित, बेसहारा एवं लावारिस मरीजों के पुनर्वास हेतु तैयार की गयी एस0ओ0पी0 के सम्बन्ध में।
3.11	मेसर्स अनिल सर्जिकल के द्वारा चिकित्सालय के आईसीयू विभाग में पीसीटी टेस्ट हेतु Europium Immunoassay System को निःशुल्क स्थापित करने के संबंध में।
3.12	विश्वविद्यालय के सभी संकायों में 06 माह का आब्जर्वरशिप प्रोग्राम प्रारम्भ करने हेतु तैयार की गयी एस0ओ0पी0 के अनुमोदन के संबंध में।
3.13	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई में Enhanced Hospital Information Management System (HIMS) framework aimed at strengthening digital health infrastructure, clinical workflows and hospital information management systems in alignment with the evolving digital health initiatives of the Government of Uttar Pradesh क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।
	टेबल एजेण्डा
3.14	विश्वविद्यालय में डायलिसिस हेतु पी0पी0पी0 माडल के आधार पर डायलिसिस सेवा प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 20.06.2026 का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	प्रस्तावः हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 20.06.2026 में की गई संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें। हॉस्पिटल बोर्ड के एजेण्डा बिंदु 3.4, 3.8 एवं 3.13 में की गई संस्तुति के क्रम में विस्तृत एजेण्डा क्रमशः एजेण्डा बिंदु 16–26, 16–27 एवं 16–28 के अन्तर्गत प्रस्तुत है।
कार्य परिषद का निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 20.06.2026 में की गई संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 16–6 **कार्य परिषद की पंद्रहवीं बैठक के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गए विभिन्न कार्यालय आदेशों को मा0 कार्यपरिषद द्वारा अवलोकित किये जाने के सम्बन्ध में।**	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 के उपरांत विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के दृष्टिगत मा0 कुलपति महोदय/ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यालय आदेश निर्गत किये गये हैं, जिन्हें मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **नियमः** विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के दृष्टिगत उक्त कार्यालय आदेशों को निर्गत किया जाना आवश्यक है। **प्रस्ताव का आधारः** प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में मा0 कुलपति महोदय/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्गत किये गये कार्यालय आदेशों को एजेन्डा बिन्दु के रूप में मा0 कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त कार्यालय आदेश अलग बुकलेट में प्रस्तुत हैं। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** मा० कुलपति महोदय/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किये गए विभिन्न कार्यालय आदेशों से मा0 कार्य परिषद अवलोकित होना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गए विभिन्न कार्यालय आदेशों को मा0 कार्य परिषद द्वारा अवलोकित किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 16–7 **विश्वविद्यालय स्तर पर गैर–शैक्षणिक पदधारकों को प्रदान की गयी पदोन्नति से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराये जाने के संबंध में।**	अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के कतिपय गैर–शैक्षणिक पदधारकों को सेवा/अर्हता पूर्ण करने पर पदोन्नति अनुमन्य की गयी, जिसका विवरण कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा हैः– 1. सीनियर टेक्नीशियन (डायलिसिस) लेवल–6 से टेक्निकल ऑफिसर (डायलिसिस) लेवल–7, **(01 कार्मिक)** (विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.01.2026)। कार्यालय आदेश सं0 5393 दिनांक 12.02.2026 **2.** टेक्निकल ऑफिसर (लेवल–7) से सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (लेवल–8) **(38 कार्मिक)** (विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.04.2026) कार्यालय आदेश सं0 64 दिनांक 07.04.2026 3. लैब असिस्टेंट (लेवल–4) से जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट (लेवल–5) **(13 कार्मिक)** (विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.01.2026) कार्यालय आदेश सं0 131 दिनांक 09.04.2026 4. लैब असिस्टेंट (लेवल–4) से जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट (लेवल–5) **(5 कार्मिक)** (विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.01.2026) कार्यालय आदेश सं0 808 दिनांक 14.05.2026 5. सहायक नर्सिंग अधीक्षक (लेवल–10) से उप नर्सिंग अधीक्षक (लेवल–10) **(3 कार्मिक)** (विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.05.2026) कार्यालय आदेश सं0 801 दिनांक 14.05.2026

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

	6. सीनियर नर्सिंग ऑफिसर (लेवल–8) से सहायक नर्सिंग अधीक्षक (लेवल–10) **(32 कार्मिक)** (विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.05.2026) कार्यालय आदेश सं0 802 दिनांक 14.05.2026 7. जूनियर स्टाफ सर्जन (लेवल–11) से स्टाफ सर्जन (लेवल–12)– **(1 कार्मिक)** एवं वरिष्ठ चिकित्साधिकारी लेवल–11 से मुख्य चिकित्साधिकारी लेवल–12– **(1 कार्मिक)** (विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.02.2026) कार्यालय आदेश सं0 6328 दिनांक 28.03.2026 **8.** लाइब्रेरियन ग्रेड–1 (लेवल–8) से लाइब्रेरियन सेलेक्शन ग्रेड (लेवल–11)– **(1 कार्मिक)** (विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.01.2026) कार्यालय आदेश सं0 1114 दिनांक 09.06.2026 **प्रस्तावः** विश्वविद्यालय स्तर पर गैर–शैक्षणिक पदधारकों को प्रदान की गयी पदोन्नति से मा0 कार्य परिषद अवगत होना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– विश्वविद्यालय स्तर पर गैर–शैक्षणिक पदधारकों को प्रदान की गयी पदोन्नति से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई।	
एजेण्डा बिन्दु 16–8 **विश्वविद्यालय स्तर पर गैर–शैक्षणिक पदधारकों को प्रदान की गयी एम0ए0सी0पी0 से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराये जाने के संबंध में।**	अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के गैर–शैक्षणिक पदधारकों को 10 वर्ष की सेवा/अर्हता पूर्ण करने पर एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य की गयी, जिससे संबंधित विवरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। विवरण निम्नवत् हैः– 1. टेक्निकल ऑफिसर (डेन्टल) लेवल–7 से लेवल–8 **(2 कार्मिक)** (कार्यालय आदेश संख्या – 5611 /UPUMS/Estt.-7/(49)/2025-26 दिनांक – 23 फरवरी, 2026) 2. अपर सांख्यिकीय अधिकारी लेवल–7 से लेवल–8 **(1 कार्मिक)** (कार्यालय आदेश संख्या – 5764 /UPUMS/Estt.-7/(1970)/2025-26 दिनांक – 27 फरवरी, 2026) 3. फार्मासिस्ट ग्रेड–2 लेवल–6 से लेवल–7 **(5 कार्मिक)** (कार्यालय आदेश संख्या – 5487 /UPUMS/Estt.-7/(68)/2025-26 दिनांक – 17 फरवरी, 2026) 4. फार्मासिस्ट ग्रेड–2 लेवल–6 से लेवल–7 **(4 कार्मिक)** (कार्यालय आदेश संख्या – 5488 /UPUMS/Estt.-7/(68)/2025-26 दिनांक – 17 फरवरी, 2026) **प्रस्तावः** विश्वविद्यालय स्तर पर गैर–शैक्षणिक पदधारकों को प्रदान की गयी एम0ए0सी0पी0 से मा0 कार्य परिषद अवगत होना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– विश्वविद्यालय स्तर पर गैर–शैक्षणिक पदधारकों को प्रदान की गयी एम0ए0सी0पी0 से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई।	
एजेण्डा बिन्दु 16–9 **उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 में निहित प्राविधानान्तर्गत विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2025–26 के माह जुलाई–2025 से सितम्बर–2025 (द्वितीय त्रैमास), माह अक्टूबर–2025 से दिसम्बर–2025 (तृतीय त्रैमास)**	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 5063(A)/71-2-2021-127/2013 दिनांक 29 जनवरी, 2021 के द्वारा "उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021" जारी की गई है, जिसके भाग–तीन में बिंदु–च के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं:– **(च) उक्त नोडल समिति त्रैमासिक रूप से असाध्य रोगों के अंतर्गत उपचार प्राप्त लाभार्थियों की सूची राजकीय मेडिकल कालेज एवं स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा**

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एवं माह जनवरी–2026 से मार्च–2026 (चतुर्थ त्रैमास) में असाध्य रोगों के अंतर्गत उपचार प्राप्त लाभार्थियों की सूची एवं उपयोग की गई निधि से संबंधित विवरण मा0 कार्य परिषद को अवलोकित कराए जाने के संबंध में।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं चिकित्सा संस्थान के मामले में क्रमशः कार्यकारिणी परिषद एवं शासी निकाय को उपलब्ध करायेगी।

उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 के उक्त प्राविधानों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 के माह जुलाई–2025 से सितम्बर–2025 (द्वितीय त्रैमास), माह अक्टूबर–2025 से दिसम्बर–2025 (तृतीय त्रैमास) एवं माह जनवरी–2026 से मार्च–2026 (चतुर्थ त्रैमास) में असाध्य रोगों के अंतर्गत उपचार प्राप्त लाभार्थियों की सूची एवं उपयोग की गई निधि से संबंधित विवरण मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

अवगत कराना है कि "उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021" के भाग–एक बिंदु–3(ङ) के अन्तर्गत उल्लेख है कि "असाध्य रोग का तात्पर्य कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लीवर एवं मौसमी संक्रामक बीमारियों [जैपनीज इन्सेफेलाइटिस (जे0ई0), एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम (ए0ई0एस0), डेंगू, स्वाईन फ्लू, कोविड–19, डिप्थीरिया, टिटनेस] असाध्य रोगों से है।"

विवरणः वित्तीय वर्ष 2025–26 के माह जुलाई–2025 से सितम्बर–2025 (द्वितीय त्रैमास), माह अक्टूबर–2025 से दिसम्बर–2025 (तृतीय त्रैमास) एवं माह जनवरी–2026 से मार्च–2026 (चतुर्थ त्रैमास) में लाभार्थी मरीजों एवं व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0	माह	लाभार्थी मरीजों की संख्या	कुल भर्तियां	लाभार्थी मरीजों के उपचार में व्यय कुल धनराशि
1.	जुलाई–2025 से सितम्बर–2025	71 (51 नवीन रजिस्ट्रेशन)	380	रु0 46,82,597.00
2.	अक्टूबर–2025 से दिसम्बर–2025	66 (37 नवीन रजिस्ट्रेशन)	343	रु0 40,89,969.00
3.	जनवरी–2026 से मार्च–2026	58 (30 नवीन रजिस्ट्रेशन)	288	रु0 42,64,592.00

प्रस्तावः उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 में निहित प्राविधानान्तर्गत विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2025–26 के माह जुलाई–2025 से सितम्बर–2025 (द्वितीय त्रैमास), माह अक्टूबर–2025 से दिसम्बर–2025 (तृतीय त्रैमास) एवं माह जनवरी–2026 से मार्च–2026 (चतुर्थ त्रैमास) में असाध्य रोगों के अंतर्गत उपचार प्राप्त लाभार्थियों की सूची एवं उपयोग की गई निधि से संबंधित विवरण मा0 कार्य परिषद अवलोकित करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 में निहित प्राविधानान्तर्गत विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2025–26 के माह जुलाई–2025 से सितम्बर–2025 (द्वितीय त्रैमास), माह अक्टूबर–2025 से दिसम्बर–2025 (तृतीय त्रैमास) एवं माह जनवरी–2026 से मार्च–2026 (चतुर्थ त्रैमास) में असाध्य रोगों के अंतर्गत उपचार प्राप्त लाभार्थियों की सूची एवं उपयोग की गई निधि से संबंधित विवरण मा0 कार्य परिषद द्वारा अवलोकित किया गया। साथ ही लाभार्थियों की संख्या एवं उपचार में अब तक हुए व्यय संबंधित विवरण को पुनः सत्यापित कराए जाने के निर्देश दिए गए।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 16–10 **विश्वविद्यालय के 03 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को प्रदान की गयी अनुकम्पा नियुक्ति पर कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में।**	**प्रस्तावना:** अवगत कराना है कि विगत वर्षों में विश्वविद्यालय के 03 मतक कार्मिकों के आश्रितों को 'उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974' में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गयी है। विश्वविद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति का अधिकार कार्य परिषद में निहित है, अतः प्रकरण कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **नियम:** उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 की धारा–22(1) (कार्य परिषद की शक्तियां और कर्तव्य) की उपधारा 5 के अनुसार ''विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और सेवा शर्तों को परिभाषित करना तथा उनकी अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना'' का उल्लेख है। कार्य परिषद की छठी बैठक दिनांक 26.09.2018 के एजेन्डा बिन्दु–10 के अन्तर्गत निर्णय लिया गया था कि मृतक आश्रित प्रकरण में 'उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974' में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। **कृत कार्यवाही/निर्णय:** विश्वविद्यालय के 03 मतक कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु 'उत्तर प्रदेश सेवकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974' में निहित प्रावधानों के अनुसार कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:– 1. **स्व0 श्री मंशाराम, वाशमरमैन कम प्यून कम हैल्पर के आश्रित श्री अनीस कुमार (पुत्र)** द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन के क्रम में सम्यक् विचारोपरांत श्री अनीस कुमार को हॉस्पटिल अटेंडेंट ग्रेड–2, पे–मैट्रिक्स रू0 18000–56900 (लेवल–1) के पद पर कार्य परिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई। 2. **स्व0 श्री अनिल कुमार, जूनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट की आश्रित श्रीमती सोनी (पत्नी)** द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन के क्रम में सम्यक् विचारोपरांत श्रीमती सोनी को हॉस्पटिल अटेंडेंट ग्रेड–2, पे–मैट्रिक्स रू0 18000–56900 (लेवल–1) के पद पर कार्य परिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई। 3. **स्व0 श्री मुकेश कुमार यादव, वैयक्तिक सहायक की आश्रित श्रीमती ईशा यादव (पत्नी)** द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन के क्रम में सम्यक् विचारोपरांत श्रीमती ईशा यादव को जूनियर कलर्क, पे–मैट्रिक्स रू0 21700–89100 (लेवल–3) के पद पर कार्य परिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई। **प्रस्ताव:** विश्वविद्यालय के उक्त 03 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को 'उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974' में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की गयी अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा उक्तवत् की गयी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय:– विश्वविद्यालय के 03 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को 'उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974' में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की गयी अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 16–11 **मा० कार्य परिषद की चौदहवीं बैठक के एजेण्डा बिंदु 14–7 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुपालन में गठित Estate Committee तथा तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुमोदन के संबंध में।**	अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 08.12.2025 में प्रस्तुत एजेण्डा बिंदु 14–7 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की संपत्तियों के समुचित प्रबंधन, रख–रखाव एवं Estate Committee के गठन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था। मा० कार्य परिषद की चौदहवीं बैठक में प्राप्त अनुमोदन के अनुपालन में, विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी एवं Estate Committee के सुचारू संचालन एवं उनके कार्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करने हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर ली गई है। उक्त तैयार की गई एस०ओ०पी० के खण्ड–10 में विहित प्राविधानों के क्रम में, विश्वविद्यालय की संपत्तियों, भवनों, अवस्थापना सुविधाओं आदि की निगरानी, रख–रखाव, अतिक्रमण से बचाव एवं विनियमन हेतु विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 1020 / UPUMS / Estate Officer (2857–CD) / 2026–27 दिनांक 01.06.2026 के माध्यम से 'Estate Committee' का गठन किया गया है। गठित Estate Committee का आदेश एवं तैयार की गई एस०ओ०पी० की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। चूंकि Estate Committee का गठन एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्माण मा० कार्य परिषद की चौदहवीं बैठक के एजेण्डा बिंदु 14–7 में प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में किया गया है, अतः निर्गत आदेश दिनांक 01.06.2026 द्वारा गठित Estate Committee एवं विश्वविद्यालय की संपत्तियों के प्रबंधन हेतु तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को कार्योत्तर अनुमोदन हेतु मा० कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। **प्रस्तावः** मा० कार्य परिषद उक्त गठित 'Estate Committee' एवं तत्संबंधी तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– मा० कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर गठित 'Estate Committee' एवं तत्संबंधी तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 16–12 **विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय व फार्मेसी संकाय के शिक्षकों / डिमॉन्स्ट्रेटर तथा ग्रुप 'ए' एवं 'बी' कार्मिकों को कॉन्फ्रेंस आदि में प्रतिभाग करने हेतु अनुमन्य सुविधाओं को स्थगित करने एवं प्रकरण शासन को संदर्भित करने के संबंध में।**	**पृष्ठभूमिः** • अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् की 12वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु 12–20 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय व फार्मेसी संकाय के संकाय सदस्यों एवं डिमॉन्स्ट्रेटर सहित समस्त ग्रुप 'ए' एवं 'बी' कार्मिकों को कॉन्फ्रेंस आदि में प्रतिभाग करने हेतु संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एस०जी०पी०जी०आई०), लखनऊ / अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के कार्मिकों की भांति सुविधाएं (जैसा कि इस विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों को अनुमन्य हैं) प्रदान किये जाने का अनुमोदन मा0 कार्य परिषद् द्वारा प्रदान किया गया था। • तद्क्रम में एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0 PGI/ACAD/1745/2016 दिनांक 14 / 16 अप्रैल, 2016 के माध्यम से निर्गत गाइडलाइंस के अनुसार विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय व फार्मेसी संकाय के संकाय

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

	सदस्यों एवं डिमॉन्स्ट्रेटर सहित समस्त ग्रुप 'ए' एवं 'बी' कार्मिकों को उक्त सुविधाएं अनुमन्य किये जाने हेतु कार्यालय आदेश सं0 132/यूपीयूएमएस/प्रशासन(325–सी0डी0)/2025–26 दिनांक 07 अप्रैल, 2025 जारी किया गया था। • उक्त प्रकरण में विश्वविद्यालय की वित्त समिति की सहमति के बिना, मा० कार्य परिषद् से अनुमोदन प्राप्त होने के क्रम में प्रकरण मा0 कार्य परिषद् के समक्ष पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **पुनर्विचार हेतु बिन्दुः** • संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एस०जी०पी०जी०आई०), लखनऊ द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या PGI/ACAD/1745/2016 दिनांक 14/16 अप्रैल, 2016 में संस्थान के संकाय सदस्यों (Faculty Members) को वैज्ञानिक सम्मेलनों एवं विदेश यात्राओं आदि में वित्तीय व गैर–वित्तीय अनुमति प्रदान करने हेतु जारी किया गया है। • इस आदेश में नर्सिंग, पैरामेडिकल व फार्मेसी के संकाय सदस्यों एवं डिमॉन्स्ट्रेटर व ग्रुप 'ए' एवं 'बी' कार्मिकों के लिए उक्त सुविधाओं (जैसे– एक वर्ष में 4 कॉन्फ्रेन्स हेतु TA/DA, अंतर्राष्ट्रीय हवाई किराया, वीजा शुल्क, होटल आवास व्यय आदि) का कोई प्रावधान नहीं है। • एस०जी०पी०जी०आई० की व्यवस्था के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षकों के समकक्ष इन समस्त संवर्गों (नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय व फार्मेसी संकाय) को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् की 12वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु 12–20 के अंतर्गत एस०जी०पी०जी०आई० के आदेश (दिनांक 14/16.04.2016) के तहत विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय व फार्मेसी संकाय के संकाय सदस्यों एवं डिमॉन्स्ट्रेटर सहित समस्त ग्रुप 'ए' एवं 'बी' कार्मिकों को दी जा रही सुविधाओं के संबंध में विचार विमर्श के दौरान यह पाया गया की उक्त प्रकरण में विश्वविद्यालय की वित्त समिति की सहमति के बिना, मा० कार्य परिषद् से अनुमोदन प्राप्त किया गया, जो वित्तीय नियमों के अनुरूप प्रतीत नही होता है। • **अवगत कराना है कि वित्त समिति की छठीं बैठक दिनांक 29.05.2026 के एजेण्डा बिन्दु 6–4 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय व फार्मेसी संकाय के संकाय सदस्यों एवं डिमॉन्स्ट्रेटर/रेजीडेंट को कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग करने के लिए Reimbursement of TA/DA/Registration Fees आदि के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि "वित्त समिति के सदस्यों द्वारा उक्त पर विचार किया गया तथा सहमति व्यक्त की गई की उक्त प्रकरण को कार्य परिषद में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए प्रकरण को शासन संदर्भित किया जाए"।** **प्रस्तावः** विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय व फार्मेसी संकाय के सदस्यों/डिमॉन्स्ट्रेटर एवं गैर–शैक्षणिक ग्रुप 'ए'

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

	व 'बी' कार्मिकों को कार्यालय आदेश सं0 132/यूपीयूएमएस/प्रशासन(325–सी0डी0)/2025–26 दिनांक 07 अप्रैल, 2025 के माध्यम से कॉन्फ्रेंस आदि में प्रतिभाग करने हेतु दी गई सुविधाओं को शासन स्तर से दिशा–निर्देश प्राप्त होने तक स्थगित करने एवं वित्त समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में प्रकरण शासन को संदर्भित करने हेतु मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय व फार्मेसी संकाय के सदस्यों/डिमॉन्स्ट्रेटर एवं गैर–शैक्षणिक ग्रुप 'ए' व 'बी' कार्मिकों को विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 132/यूपीयूएमएस/प्रशासन(325–सी0डी0)/2025–26 दिनांक 07 अप्रैल, 2025 के माध्यम से कॉन्फ्रेंस आदि में प्रतिभाग करने हेतु दी गई सुविधाओं को शासन स्तर से दिशा–निर्देश प्राप्त होने तक स्थगित करने एवं वित्त समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में प्रकरण शासन को संदर्भित करने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 16–13 **श्री मलय कुमार राय, नर्सिंग ऑफिसर के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान Colour Vision: Partial red green colour blindne पाये जाने के प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराए जाने एवं प्रकरण में निर्णय लिए जाने के संबंध में।**	• अवगत कराना है ज्वाइनिंग के समय श्री मलय कुमार राय, नर्सिंग ऑफिसर के चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 04.09.2024 के दौरान Colour Vision: Partial red green colour blindness पाये जाने के पश्चात उन्हें पत्र सं0 863 दिनांक 18.09.2024 के माध्यम से दिनांक 14.09.2024 से दी गई Provisional Joining के स्थान पर स्थायी ज्वाइनिंग प्रदान किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद की 13वीं बैठक दिनाक 11.10.2025 में एजेण्डा बिंदु 13–47 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण में मा0 कार्य परिषद द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया थाः– **"मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि नर्सिंग सेवाओं में Colour Blind अभ्यर्थी की Joining के संबंध में विधिक परामर्श प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत Disability Guidelines में क्या प्राविधान हैं, परीक्षण कर लिया जाये तदोपरान्त निर्णय हेतु प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। मा0 कार्य परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि अंतिम निर्णय होने तक श्री मलय कुमार राय को परिवीक्षा अवधि में ही रखा जाये।"** • प्रकरण में अब तक कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् हैः–

1.	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 को प्रेषित पत्र सं0 3393 दिनांक 07.12.2024	कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा पत्र दिनांक 24.12.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि "प्रश्नगत प्रकरण में अपने विश्वविद्यालय में नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु सुसंगत सेवा नियमावली/शासनादेशों में घोषित नियुक्ति प्राधिकारी स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।"
2.	Dr. Rajendra Prasad Centre for Ophthalmic Sciences, AIIMS, New Delhi को प्रेषित पत्र सं0 3394 दिनांक 07.12.2024	एम्स, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 02.01.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि "There are no guidelines related to Red Green deficiency with recruitment cell. Further medical of all the regularly selected candidates is conducted by designated Medical Boards in the Institute itself."

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

		3.	श्री रोहित पाण्डेय, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को पत्र सं0 3115 दिनांक 28.11.2025	श्री रोहित पाण्डेय द्वारा ई–मेल दिनांक 11.04.2026 के माध्यम से निम्नवत् राय दी गईः– 1. If it is found that the Colour blindness of the candidate doesn't come in the way of his discharging the functions of Nursing Officer, terminating his services would not be sustainable. 2. A candidate cannot be declared disqualified solely on the basis of Partial Red-Green Colorblindness, unless the recruitment rules or governing guidelines specifically so provide. 3. The candidate ought to be retained in service, and provisional joining should, in principle, be confirmed. 4. As a matter of caution, the candidate may be referred to a competent Medical Board for assessment of functional fitness, and appropriate duty modification may be considered, if required. 5. For future cases, the employer should frame clear medical fitness guidelines governing such conditions.
		4.	कार्यालय आदेश सं0 449 दिनांक 24.04.2026 के द्वारा जाँच एवं परीक्षण किए जाने हेतु जाँच समिति गठित की गई।	जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02.06.2026 में प्रकरण के संबंध में निम्नलिखित **अनुशंसाएँ/संस्तुति** की गई हैं– 1. श्री मलय कुमार राय को दिनांक 04.09.2024 को जारी चिकित्सीय जाँच प्रमाण पत्र में Partial Red Green Colour Blindness Abnormal पाए जाने पर इन्हें कार्यालय आदेश सं0 863 दिनांक 18.09.2024 द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के पद पर दिनांक 14.09.2024 को Provisional Joining करायी गयी। Partial Colour Blindness से संबंधित भर्ती/नियुक्ति हेतु कोई स्पष्ट दिशा निर्देश Guidelines न प्राप्त होने की स्थिति में श्री मलय कुमार राय को नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु स्थाई नियुक्ति के लिए विचार करते हुए इनकी सेवा को जारी रखा जा सकता है, बशर्ते इनकी पोस्टिंग विश्वविद्यालय द्वारा

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

					उपयुक्त समझे जाने वाले स्थान पर की जाए। (Restricted Posting) 2. समिति उक्त नर्सिंग कर्मचारी हेतु इस तरह की प्रतिबंधित पोस्टिंग को परिभाषित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्ट दिशा–निर्देश बनाए जाने की अनुशंसा/संस्तुति करती है। 3. यह एक विशिष्ट (Solitary) मामला है तथा उपर्युक्त निर्णय केवल इसी मामले तक सीमित रहेगा। विश्वविद्यालय में भविष्य अथवा पूर्व की किसी भी भर्ती के लिए इसे किसी प्रकार की मिसाल (Precedent) नहीं माना जाएगा। 4. समिति भविष्य में विवादों से बचने के उद्देश्य से Partial colourblind व्यक्तियों की भर्ती के लिए भी स्पष्ट दिशा–निर्देश बनाए जाने की अनुशंसा करती है। **समिति का निष्कर्षः** श्री मलय कुमार राय को दिनांक 04.09.2024 को द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के पद पर दिनांक 14.09.2024 को Provisional Joining कराये जाने के क्रम में समिति द्वारा Partial Colour Blindness से संबंधित भर्ती/नियुक्ति हेतु DGME/MoHFW/ SGPGI/RPCentre/ AIIMS/DGHMS से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश Guidelines प्राप्त न होने की स्थिति में श्री मलय कुमार राय को नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु स्थाई नियुक्ति के लिए विचार करते हुए इनकी सेवा को जारी रखा जा सकता है, बशर्ते इनकी पोस्टिंग विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले स्थान पर की जाए। (Restricted Posting)
				प्रस्तावः श्री मलय कुमार राय, नर्सिंग ऑफिसर के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान Colour Vision: Partial red green colour blindness पाये जाने के प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही से अवगत होते हुए मा0 कार्य परिषद प्रकरण में निर्णय लेना चाहें।		

कार्य परिषद का निर्णयः– श्री मलय कुमार राय, नर्सिंग ऑफिसर के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान Colour Vision: Partial red green colour blindness पाये जाने के प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई। प्रकरण में विस्तृत विचार–विमर्श उपरांत मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देश दिए गए कि प्राप्त विधिक राय एवं प्रकरण में जाँच/परीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा/ संस्तुति/निष्कर्ष के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 16–14 डॉ0 अनामिका सिंह, प्रोफेसर, फिजियोलॉजी विभाग द्वारा 'स्लीप मेडिसिन यूनिट' के संचालन के संबंध में प्राप्त शिकायत के क्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही के संबंध में मा0 कार्य परिषद को अवगत कराए जाने के संबंध में।	अवगत कराना है कि श्री राकेश कुशवाह, निवासी– 3/5 शिवाजी नगर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) द्वारा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) एवं विश्वविद्यालय को एक लिखित शिकायत प्रेषित की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त सूचनाओं का हवाला देते हुए डॉ० अनामिका सिंह, प्रोफेसर, फिजियोलॉजी विभाग द्वारा संचालित 'स्लीप मेडिसिन यूनिट' को नियमों के विपरीत बताया गया है। उक्त शिकायत निम्नवत् है:– "I am constrained to file the present complaint seeking immediate regulatory intervention against grossly illegal and unauthorized clinical activities being carried out at the Sleep Medicine Unit/Clinic of Uttar Pradesh University of Medical Sciences under the charge of Dr. Anamika Singh, Professor, Department of Physiology. That, based on information obtained under the Right to Information Act, 2005 (copy enclosed), it is an admitted position on record that Dr. Anamika Singh is functioning as Professor In-charge/Head of the Sleep Medicine Unit and is independently conducting Sleep Clinic/OPD. It is further borne out from official records that approximately 570 patients were clinically attended, evaluated, and treated during the period from January 2025 to October 2025. **At the outset, the aforesaid acts are ex facie illegal, unauthorized, and in direct contravention of the statutory scheme governing medical education and clinical practice, for the following reasons:** **1. Violation NMC Act, 2019 and Regulatory Framework:** Under the scheme of the NMC Act, 2019, read with regulations framed there under, clinical practice is restricted to duly qualified and registered medical practitioners within their recognized field of specialization. The Department of Physiology is classified as a pre-clinical/basic science department, and its faculty are not authorized to independently diagnose, treat, or prescribe medicines to patients. **2. Contravention of Postgraduate Medical Education Regulations (PGMER), 2023 (and earlier amendments):** The NMC regulations clearly demarcate pre-clinical, para-clinical, and clinical departments, and assign clinical responsibilities exclusively to designated clinical departments. Running an OPD/clinic and treating patients by a pre-clinical department is outside the permissible scope of departmental functions. **3. Violation of Code of Medical Ethics Regulations, 2002 (now subsumed under NMC Registered Medical Practitioner Regulations, 2023):** The following provisions are directly attracted: • A medical practitioner shall practice only within the scope of their qualification, competence, and registration. • Practice of medicine without appropriate qualification/specialization amounts to professional misconduct. • Prescription of medicines without lawful authority constitutes gross negligence and unethical conduct. **4. Absence of Lawful Authority and Sanctioned Clinical Post:** There is no evidence on record to suggest that Dr. Anamika Singh: • Holds a recognized clinical postgraduate qualification in Sleep Medicine or any allied clinical specialty; • Is registered in a clinical specialty permitting independent OPD practice; • Has been appointed against a sanctioned clinical post authorizing patient care responsibilities. **5. Serious Medico-Legal and Patient Safety Violations:** The treatment of approximately 570 patients establishes that the unit is functioning as a de facto unauthorized clinical establishment, thereby: • Exposing unsuspecting patients to unregulated and potentially unsafe medical care; • Violating patient rights and standard treatment protocols; • Creating significant civil and criminal liability for the institution and individuals involved. **The above acts, therefore, constitute:** • Unauthorized practice of clinical medicine • Professional misconduct under NMC regulations • Institutional failure to enforce statutory safeguards • A continuing wrong affecting public health and safety

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	In view of the seriousness of the violations, it is most respectfully prayed that the National Medical Commission may be pleased to: 1. **Initiate a formal investigation/inquiry** under the provisions of the NMC Act, 2019 into the illegal functioning of the Sleep Medicine Unit at Uttar Pradesh University of Medical Sciences. 2. **Direct immediate cessation** of all unauthorized clinical activities, including OPD services and prescription of medicines by non-clinical faculty. 3. **Examine professional misconduct** on the part of the concerned faculty under the applicable ethical and professional conduct regulations, and initiate disciplinary proceedings accordingly. 4. **Fix institutional accountability**, including responsibility of administrative authorities who permitted or failed to prevent such illegal practices. 5. **Issue appropriate directions/circulars** to prevent recurrence of such violations in medical colleges across the country. The matter involves continuing illegality, patient safety concerns, and systemic regulatory failure, and therefore warrants urgent and time-bound intervention." **विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही :** शिकायत प्राप्त होने के उपरांत विषय की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है: 1. डॉ० अनामिका सिंह को स्लीप मेडिसिन यूनिट/स्लीप क्लीनिक/ओपीडी से संबंधित समस्त गतिविधियों का संचालन अग्रिम आदेशों तक स्थगित/बंद रखने हेतु निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। 2. शिकायत के परीक्षण/जाँच हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर का कार्यालय आदेश सं0 884 दिनांक 19.05.2026 के द्वारा 03 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई थी। 3. फैक्ट फाइंडिंग कमेटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.06.2026 के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। **फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का निष्कर्ष:** 1. डॉ० अनामिका MBBS Graduate होने के नाते Sleep Medicine मरीजों को General Treatment लिखती थीं तथा Sleep की गम्भीर परेशानी होने पर संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक से reference कराकर राय लेती थीं। 2. वह RPGST registered हैं अतः Polysomnography करने को अर्ह पायी गईं। 3. डॉ0 अनामिका सिंह को सक्षम स्तर द्वारा मरीजों को देखने हेतु ओ0पी0डी0 कक्ष आवंटित किया गया। जिसमें उनके द्वारा मरीज देखे जाते थे। 4. विश्वविद्यालय द्वारा स्लीप मेडिसिन के मरीजों की जाँच तथा उपचार हेतु एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जाता था। उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त साक्ष्यों पर आधारित है। अतः श्री राकेश कुशवाही निवासी 3/5 शिवाजी नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश द्वारा की गई शिकायत आधारहीन प्रतीत होती है। **प्रस्तावः** फैक्ट फाइंडिंग कमेटी द्वारा प्रस्तुत आख्या से अवगत होते हुए मा0 कार्य परिषद उक्त शिकायत के निस्तारण एवं 'स्लीप मेडिसिन यूनिट' के संचालन के संबंध में निर्णय लेना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की आख्या के क्रम में उक्त शिकायत को निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही निर्देश दिए गए कि अन्य चिकित्सा संस्थानों में 'स्लीप मेडिसिन यूनिट' के संचालन के संबंध में नियमों/एस0ओ0पी0 आदि का अध्ययन कर एस0ओ0पी0 बनाते हुए तद्नुसार 'स्लीप मेडिसिन यूनिट' के संचालन की कार्यवाही की जाए।	

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 16–15

दिनांक 28.03.2026 को सम्पन्न कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक में एजेण्डा बिंदु–1 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग में घटित घटना के क्रम में कार्मिकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु तैयार किए गए आरोप पत्रों पर अनुमोदन के संबंध में।

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग के वार्ड में भर्ती एक महिला रोगी के साथ आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा किए गए यौन शोषण का अत्यंत गंभीर प्रकरण संज्ञान में आया था। इस संबंध में दिनांक 19.03.2026 को गठित 09 सदस्यीय जाँच समिति की आख्या को मा0 कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.03.2026 में प्रस्तुत किया गया था। मा० कार्य परिषद द्वारा उक्त बैठक के एजेण्डा बिन्दु–1 पर विचार–विमर्श के उपरान्त पर्यवेक्षण एवं प्रणालीगत स्तर पर हुई गंभीर कमियों के दृष्टिगत, मनोचिकित्सा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय जाँच प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया था। साथ ही विभागीय जाँच प्रारम्भ करने हेतु जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किए गए थे।

उक्त निर्णय के अनुपालन में दोषी/संलिप्त पाए गए कार्मिकों को दिए जाने वाले आरोप पत्र तैयार किए गए हैं, जिन्हें मा० कार्य परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

जाँच समिति के निष्कर्षों के आधार पर मनोचिकित्सा विभाग के जिन कार्मिकों की पर्यवेक्षीय शिथिलता, कर्तव्यहीनता अथवा संलिप्तता प्रथम दृष्टया परिलक्षित हुई है, उनका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0	नाम	पदनाम
1.	डॉ0 अरूण कुमार मिश्रा	प्रोफेसर, मनोचिकित्सा विभाग
2.	श्रीमती ममता राय यादव	सहायक नर्सिंग अधीक्षक
3.	श्री अनुराग प्रताप सिंह	सीनियर नर्सिंग ऑफिसर
4.	श्री चन्द्र प्रकाश कुमावत	सीनियर नर्सिंग ऑफिसर
5.	श्रीमती संध्या अग्निहोत्री	सीनियर नर्सिंग ऑफिसर
6.	श्री अतुल कुमार शुक्ला	सीनियर नर्सिंग ऑफिसर
7.	श्रीमती मोनिका वर्मा	सीनियर नर्सिंग ऑफिसर
8.	श्रीमती दीप्ति गुप्ता	सीनियर नर्सिंग ऑफिसर
9.	सुश्री प्रियंका कुमारी	नर्सिंग ऑफिसर
10.	सुश्री सुमन मौर्या	नर्सिंग ऑफिसर
11.	श्री अजय त्रिपाठी	नर्सिंग ऑफिसर
12.	श्री दिलीप कुमार मिश्रा	नर्सिंग ऑफिसर
13.	सुश्री हेमलता	नर्सिंग ऑफिसर
14.	सुश्री मनप्रीत कौर	नर्सिंग ऑफिसर

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही हेतु कार्मिकों को औपचारिक रूप से आरोप पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी (मा० कार्य परिषद) का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तावः मा0 कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.03.2026 में एजेण्डा बिन्दु–1 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुपालन में उक्त 14 कार्मिकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत तैयार किए गए आरोप पत्रों का अवलोकन करते हुए आरोप पत्रों पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा संबंधित 14 कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत तैयार किए गए आरोप पत्रों का अवलोकन करते हुए आरोप पत्रों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त आरोप पत्र संबंधित कार्मिकों को जारी किए जाने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 16–16

दिनांक 28.03.2026 को सम्पन्न कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक में एजेण्डा बिंदु–2 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय के लेक्चर थियेटर–2 में दिनांक 29.01.2026 को छात्रों के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किए जाने की गंभीर घटना के क्रम में कार्मिकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु तैयार किए गए आरोप पत्रों पर अनुमोदन के संबंध में।

अवगत कराना है कि दिनांक 29.01.2026 को विश्वविद्यालय के लेक्चर थियेटर–2 में छात्रों के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किये जाने का प्रकरण संज्ञान में आने पर संबंधित चिकित्सा शिक्षकों/अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था तथा चिकित्सा शिक्षकों/अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन एवं इस संबंध में मा0 कुलपति महोदय से प्राप्त निर्देश के क्रम में उक्त प्रकरण की तथ्यात्मक जाँच हेतु Fact Finding Committee का गठन किया गया था।

Fact Finding Committee की रिपोर्ट मा0 कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.03.2026 में एजेण्डा बिंदु–2 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई जिसमें मा0 कार्य परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत एण्टी रैगिंग स्क्वाड एवं एंटी रैगिंग समिति के घटना के दौरान उपस्थित समस्त संलिप्त संकाय सदस्यों और सहायक सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जाँच के निर्देश दिये गये। साथ ही विभागीय जाँच प्रारम्भ करने हेतु जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किए गए थे।

उक्त निर्णय के अनुपालन में दोषी/संलिप्त पाए गए कार्मिकों को दिए जाने वाले आरोप पत्र तैयार किए गए हैं, जिन्हें मा० कार्य परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। विवरण निम्नवत् है:–

क्र0	नाम/पदनाम	एंटी रैगिंग कमेटी/ एंटी रैगिंग स्क्वाड
1.	डॉ0 नरेश पाल सिंह, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग (निलम्बित)	तत्कालीन अध्यक्ष (एंटी रैगिंग स्क्वाड)
2.	डॉ0 निशा यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, एनाटॉमी विभाग	तत्कालीन सदस्य (एंटी रैगिंग कमेटी)
3.	डॉ0 शबाना अंदलीब अंसारी, एसोसिएट प्रोफेसर, पैथोलॉजी विभाग	तत्कालीन सदस्य (एंटी रैगिंग कमेटी)
4.	श्री नंद किशोर गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनाटॉमी विभाग	तत्कालीन सदस्य (एंटी रैगिंग कमेटी)
5.	डॉ0 रूपक अग्रवाल, प्रोफेसर, पैथोलॉजी विभाग	तत्कालीन सदस्य (एंटी रैगिंग स्क्वाड)
6.	श्री प्रेम पाल सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी	–
7.	डॉ0 सोमेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग	तत्कालीन अध्यक्ष (एंटी रैगिंग कमेटी)

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही हेतु कार्मिकों को औपचारिक रूप से आरोप पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी (मा० कार्य परिषद) का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तावः मा0 कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.03.2026 में एजेण्डा बिन्दु–2 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुपालन में उक्त 07 कार्मिकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत तैयार किए गए आरोप पत्रों का अवलोकन करते हुए आरोप पत्रों पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा संबंधित 07 कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत तैयार किए गए आरोप पत्रों का अवलोकन करते हुए आरोप पत्रों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त आरोप पत्र संबंधित कार्मिकों को जारी किए जाने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 16–17 **श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियंता (विद्युत), अभियंत्रण विभाग के विरुद्ध संस्थित जाँच में नामित जाँच अधिकारी की जाँच रिपोर्ट को प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण अमान्य/शून्य घोषित करते हुए निरस्त किए जाने तथा प्रकरण में नए सिरे से जाँच संस्थित करने हेतु किसी अन्य अधिकारी को जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के संबंध में।**	• अवगत कराना है कि श्री नरसिंह यादव, बतौर कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) वर्तमान में सहायक अभियंता (विद्युत) द्वारा द्वारा किए गए तथा कराए जा रहे कार्यों में की गई अनियमितता एवं Hierarchy का पालन न किए जाने, दिनांक 12.06.2025 को वाट्सएप ग्रुप पर कार्यालय की पत्रावलियों की नोटशीट को प्रसारित करते हुए कार्यालय की गोपनीयता को भंग करने एवं अपने से उच्चाधिकारियों की टिप्पणी पर ग्रुप में कमेंट करने संबंधी प्रकरणों की जाँच के संबंध में पूर्व में गठित 04 सदस्यीय जाँच समिति की रिपोर्ट में आरोपित 08 बिंदुओं में इनकी संलिप्तता/आरोप सिद्ध होना पाया गया था। • 04 सदस्यीय जाँच समिति की रिपोर्ट को मा० कार्य परिषद की 13वीं बैठक दिनांक 11.10.2025 में एजेण्डा बिन्दु 13–37 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में लिए गए निर्णयानुसार कार्यालय आदेश संख्या 3506/यूपीयूएमएस/ अधि0–05(150)/2025–26 दिनांक 01.11.2025 के माध्यम से डॉ० नित्यानन्द श्रीवास्तव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी विभाग को जाँच अधिकारी तथा श्री मिथलेश कुमार दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया था। • श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियंता (विद्युत) के प्रकरण की जाँच हेतु कार्यालय आदेश सं0 3506/यूपीयूएमएस/अधि0–05(150)/2025–26 दिनांक 01.11.2025 के अंतिम प्रस्तर में यह आदेश पारित किए गए थे कि "जाँच अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण की जाँच हेतु आरोप पत्र तैयार कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित कार्मिक को दिया जायेगा।" • जाँच अधिकारी द्वारा अपने पत्र सं0 1617/यूपीयूएमएस/एनॉटमी/2025–26 दिनांक 23 मार्च, 2026 के द्वारा जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। • जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त जाँच रिपोर्ट के विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि जाँच अधिकारी द्वारा स्वयं अपने स्तर से श्री नरसिंह यादव को विभिन्न तिथियों में पत्र जारी किए गए, जिनके माध्यम से जाँच अधिकारी द्वारा श्री नरसिंह यादव से स्पष्टीकरण/साक्ष्य/आख्या आदि मांगे गए, जिसके आधार पर जाँच रिपोर्ट तैयार की गई। • जाँच रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 तथा कार्यालय आदेश सं0 3506/यूपीयूएमएस/अधि0–05

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	(150)/2025–26 दिनांक 01.11.2025 में पारित आदेशों के अनुसार श्री नरसिंह यादव को आरोप पत्र जारी नहीं किया गया, अतः जाँच अधिकारी द्वारा की गई जाँच की कार्यवाही प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण दूषित पाई गई। **प्रस्तावः** मा0 कार्य परिषद उपर्युक्त से अवगत होते हुए जाँच अधिकारी (डॉ० नित्यानन्द श्रीवास्तव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी विभाग) द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट दिनांक 23 मार्च, 2026 को प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण अमान्य/शून्य घोषित करते हुए निरस्त किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें तथा जाँच अधिकारी (डॉ० नित्यानन्द श्रीवास्तव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी विभाग) द्वारा सक्षम स्तर से दिए गए निर्देशों का पालन न करते हुए प्रक्रियात्मक त्रुटि करते हुए बिना आरोप पत्र निर्गत किये हुए अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत कर दी गई, इस संबंध में इनसे स्पष्टीकरण लिए जाने तथा प्रकरण में श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियंता (विद्युत) के विरूद्ध नए सिरे से जाँच संस्थित करने हेतु किसी अन्य अधिकारी को जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– (1) मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण से अवगत होते हुए जाँच अधिकारी (डॉ० नित्यानन्द श्रीवास्तव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी विभाग) द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट दिनांक 23 मार्च, 2026 को प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण अमान्य/शून्य घोषित करते हुए निरस्त किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। (2) जाँच अधिकारी (डॉ० नित्यानन्द श्रीवास्तव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी विभाग) द्वारा निर्देशों का पालन न करने के कारण मा0 कार्य परिषद द्वारा इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण लिए जाने के निर्देश दिए गए। (3) प्रकरण में श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियंता (विद्युत) के विरूद्ध नए सिरे से जाँच संस्थित करने हेतु डॉ0 राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग को जाँच अधिकारी एवं श्री संदीप कुमार दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 16–18 **मो० कलीम फारूकी, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (कार्डियोलॉजी) के संबंध में कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक में एजेण्डा बिंदु 13–44 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के क्रम में कार्यालय आदेश दिनांक 13.11.2025 द्वारा अधिरोपित दीर्घ शास्ति के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों/प्रत्यावेदनों के अवलोकनोपरान्त प्रकरण आई0सी0सी0 को संदर्भित किए जाने तथा आई0सी0सी0 की रिपोर्ट आने तक अधिरोपित दीर्घ शास्ति को अस्थायी रूप से स्थगित किए जाने के संबंध में।**	**पृष्ठभूमिः** • अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की आन्तरिक शिकायत समिति (आई0सी0सी0) द्वारा दिनांक 14.12.2023 को प्रेषित रिपोर्ट में मो0 कलीम फारूकी, ई0सी0जी0 टेक्नीशियन को कार्य स्थल पर लैंगिक शोषण किये जाने का दोषी पाया गया था। • आई0सी0सी0 की रिपोर्ट के क्रम में मा0 कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक में एजेण्डा बिंदु 13–44 के अन्तर्गत मो0 कलीम फारूकी को लघु/दीर्घ दण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था कि "आंतरिक शिकायत जाँच समिति द्वारा मो० कलीम फारूकी, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (कार्डियोलॉजी) (पूर्ववर्ती पदनाम–ई०सी०जी० टेक्नीशियन) को कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण किये जाने का दोषी पाये जाने के क्रम में मा० कार्य परिषद द्वारा मो० कलीम फारूकी, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (कार्डियोलॉजी) को उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 नियम–3 के अन्तर्गत संचयी प्रभाव के साथ एक वेतनवृद्धि (वर्ष–2026) को रोकने की दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के निर्देश दिये गये।" • उक्त निर्णय के अनुपालन में कार्यालय आदेश सं0

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

3717/UPUMS/Estt-7/(01)/2025-26 दिनांक 13.11.2025 द्वारा मो० कलीम फारूकी, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (कार्डियोलॉजी) को कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण का दोषी पाए जाने के क्रम में उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–3 के अंतर्गत संचयी प्रभाव के साथ एक वेतनवृद्धि (वर्ष–2026) को रोकने की 'दीर्घ शास्ति' अधिरोपित की गई थी।

दण्डादेश जारी होने के उपरांत मो० कलीम फारूकी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/प्रत्यावेदन/ आपत्ति पत्रों का विवरणः

क्र0	पत्र दिनांक	विषय
1	04.12.2025	कार्यालय आदेश सं0 3717/UPUMS/Estt-7/(01)/2025-26 दिनांक 13.11.2025 के विरूद्ध प्रक्रियागत आधार पर आपत्ति।
2	06.12.2025	ICC प्रकरण से सम्बंधित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने तथा मेरी आपत्तियों पर निर्णय होने तक दण्ड आदेश लागू न करने हेतु विनम्र निवेदन।
3	17.01.2026	UPUMS सैफई में मेरे प्रकरण से सम्बंधित RTI के माध्यम से प्राप्त तथ्यों, ICC अभिलेखों एवं विरोधाभासी बयानों के समग्र अवलोकन एवं न्याय हेतु प्रार्थना।
4	27.01.2026	पूर्व में प्रस्तुत आपत्ति पत्र एवं ICC जांच आख्या पर आपत्ति के संदर्भ में, प्रकरण के समग्र एवं निष्पक्ष परीक्षण हेतु विनम्र निवेदन।
5	16.04.2026	In reference to inquiry report by ICC, resulting implementation of punishment.
6	07.05.2026	मेरे प्रार्थना–पत्रों पर कृपया विचार किए जाने एवं जुलाई 2026 की वेतनवृद्धि रोकने संबंधी कार्यवाही पर पुनर्विचार हेतु विनम्र निवेदन।

प्रस्तावः मो0 कलीम फारूकी, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (कार्डियोलॉजी) द्वारा दण्डादेश जारी होने के उपरांत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/प्रत्यावेदन/आपत्ति पत्रों के क्रम में पुनर्परीक्षण किए जाने हेतु प्रकरण आन्तरिक शिकायत समिति को संदर्भित करने तथा आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा जब तक प्रकरण में दोबारा निर्णय न ले लिया जाए तब तक कार्यालय आदेश सं0 3717/UPUMS/Estt-7/(01)/2025-26 दिनांक 13.11.2025 के द्वारा पारित दण्डादेश को अस्थायी रूप से स्थगित किए जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– मो0 कलीम फारूकी, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (कार्डियोलॉजी) द्वारा दण्डादेश जारी होने के उपरांत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/प्रत्यावेदन/आपत्ति पत्रों के क्रम में पुनर्परीक्षण किए जाने हेतु प्रकरण आन्तरिक शिकायत समिति को संदर्भित करने तथा आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा जब तक प्रकरण में दोबारा निर्णय न ले लिया जाए तब तक कार्यालय आदेश सं0 3717/UPUMS/Estt-7/(01)/2025-26 दिनांक 13.11.2025 के द्वारा पारित दण्डादेश को अस्थायी रूप से स्थगित किए जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 16–19 **सुश्री अपराजिता तिवारी, टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी) के विरूद्ध श्री विवेक कुमार, ग्राम पोदला, मैनपुरी एवं श्री ओरी लाल, एस0टी0ओ0 (रेडियोलॉजी) द्वारा दिनांक 14.05.2025 को की गई शिकायत के क्रम में गठित 04 सदस्यीय जाँच समिति की आख्या के क्रम में दोषी कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित किए जाने के सम्बन्ध में।**	• अवगत कराना है कि सुश्री अपराजिता तिवारी, टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी) के विरूद्ध श्री विवेक कुमार, ग्राम पोदला, पोस्ट कुर्रा तहसील करहल, जिला मैनपुरी द्वारा पत्र दिनांक 14.05.2025 के द्वारा शिकायत की गई कि कमरा नं0 47 में टेक्नीशियन अपराजिता तिवारी ने एक्स–रे करने के लिए मना कर दिया और मेरे भाई का एक्सरे नहीं किया। शिकायती पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा इन्चार्ज को बताया तो वह उन्हें भी गन्दी गालियां देकर लड़ने लगीं और एक्सरे करने से मना कर दिया। • श्री ओरी लाल, सीनियर टेक्नीकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी) द्वारा पत्र दिनांक 14.05.2025 के माध्यम से सुश्री अपराजिता तिवारी द्वारा अभद्रता करने के संबंध में शिकायत की गई, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि दिनांक 14.05.2025 को सुश्री अपराजिता तिवारी ने एक मरीज सचिन कुमार यादव का एक्सरे करने के लिए मना कर दिया तथा उनके साथ अभद्रतापूर्वक बात करने लगीं और गाली गलौज पर उतर आईं और मरीज का एक्सरे करने से साफ मना कर दिया। • उपर्युक्त शिकायतों के क्रम में सुश्री अपराजिता तिवारी, टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी) को कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.06.2025 जारी किया गया। • उक्त जारी कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष सुश्री अपराजिता तिवारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 10.06.2025 तथा मा0 कुलपति महोदय को प्रस्तुत पत्र दिनांक 09.06.2025 के क्रम में प्रकरण की जाँच किए जाने हेतु कार्यालय आदेश सं0 1207 दिनांक 30.06.2025 के द्वारा डॉ0 ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया। • सुश्री अपराजिता तिवारी द्वारा मा0 कुलपति महोदय को प्रस्तुत पत्र दिनांक 09.06.2025 विश्वविद्यालय की आई0सी0सी0 (आंतरिक शिकायत समिति) को भी पृष्ठांकित किया गया था, जिसमें श्री ओरी लाल (एस0टी0ओ–रेडियोलॉजी), श्री मनोज राय (एस0टी0ओ– रेडियोलॉजी), श्री प्रहलाद प्रभाकर (एस0टी0ओ–रेडियोलॉजी) के विरूद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग करने की शिकायत दर्ज की गई थी। • अध्यक्ष–आई0सी0सी0 द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.09.2025 के द्वारा अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत की गई। • प्रकरण में गठित 04 सदस्यीय समिति द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत की गई। • प्रकरण में गठित 04 सदस्यीय जाँच समिति की जाँच आख्या एवं आई0सी0सी0 की जाँच आख्या के क्रम में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत है। **04 सदस्यीय जाँच समिति का निष्कर्षः** 1. श्री विपिन कुमार पाण्डेय, आर0एस0ओ0, श्री प्रहलाद प्रभाकर, एस0टी0ओ0 एवं श्री मनोज राय, एस0टी0ओ0 के विरूद्ध स्पष्ट साक्ष्य नहीं पाये गये।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	2. श्री ओरी लाल, एस0टी0ओ0 द्वारा सुश्री अपराजिता तिवारी, आर0एस0ओ0 के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। अपने कनिष्ठों विशेष रूप से महिला कर्मी के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अत्यंत ही अमर्यादित है तथा आपके पद व आपके वरिष्ठता के अनुरूप किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में भाषा शैली की मर्यादा अत्यंत आवश्यक है। 3. सुश्री अपराजिता तिवारी के गलत व्यवहार, अनुचित वार्तालाप के कारण ही उक्त प्रकार की घटना हुई जिससे विश्वविद्यालय की छवि धूमिल होने के साथ मरीज भी प्रभावित हुए। पूर्व में भी इनके द्वारा इसी प्रकार का आचरण किया गया था। दिये गये विभागीय कार्यों को मना कर देना इनके आचरण में है तथा इनमें वर्तमान में कोई सुधार नहीं आया है। सुश्री अपराजिता तिवारी द्वारा बिना उचित माध्यम के मा0 कुलपति महोदय को पत्र प्रेषित किया गया जो कि नियम के अनुकूल नहीं है। **आई0सी0सी0 (आंतरिक शिकायत समिति) का निष्कर्षः** शिकायतकर्ता (सुश्री अपराजिता तिवारी) द्वारा की गई शिकायत में कार्यस्थल पर किया गया कार्य आचरण नियमावली के अन्तर्गत विभागीय जाँच के अधीन अवश्य हो सकता है। यद्यपि उक्त प्रकरण कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण की परिधि में नहीं आता है। **प्रस्तावः** उक्त प्रकरण में गठित 04 सदस्यीय जाँच समिति की जाँच आख्या दिनांक 22.09.2025 के आधार पर मा0 कार्य परिषद सुश्री अपराजिता तिवारी, टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी) एवं श्री ओरी लाल, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत विभागीय जाँच संस्थित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें एवं प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– (1) मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में गठित 04 सदस्यीय जाँच समिति की जाँच आख्या दिनांक 22.09.2025 के आधार पर मा0 कार्य परिषद सुश्री अपराजिता तिवारी, टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी) एवं श्री ओरी लाल, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत विभागीय जाँच संस्थित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। (2) मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु श्री के0बी0 अग्रवाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को जाँच अधिकारी एवं श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 16–20 **विश्वविद्यालय के चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज में स्थापित लिफ्टों के अक्रियाशील होने के कारण आपातकालीन संकट उत्पन्न होने तथा पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता बरतने एवं**	**लिफ्टों का अक्रियाशील होनाः** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में स्थापित लिफ्टों के सेंसर खराब होने एवं कुछ लिफ्टों में तकनीकी खराबी के कारण लिफ्टों के अक्रियाशील होना संज्ञान में आया, जिसके क्रम में अधिशासी अभियंता को पत्र दिनांक 09.04.2026 एवं पत्र दिनांक 10.04.2026 के द्वारा कतिपय लिफ्टों के अक्रियाशील होने के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारण एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिशासी अभियंता

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

लिफ्टों में ए0आर0डी0 सिस्टम की स्थापना के संबंध में अभियांत्रिकी विभाग के संबंधित अभियंताओं द्वारा कर्तव्यों एवं दायित्वों में लापरवाही बरतने के क्रम में दोषी अभियंताओं के विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत विभागीय जाँच संस्थित किए जाने विषयक।

को पत्र प्रेषित किए गए।

उक्त प्रेषित पत्रों के प्रतिउत्तर में अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र दिनांक पत्र सं0 30 दिनांक 11.04.2026 विश्वविद्यालय में स्थापित लिफ्टों के सेंसर खराब होने एवं लिफ्टों के अक्रियाशील होने के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारण एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विभाग के संबंधित कनिष्ठ अभियंता विद्युत एवं सहायक अभियंता विद्युत द्वारा उक्त विषय पर अद्यतन स्थिति/यथास्थिति से संबंधित आख्या संलग्न कर प्रेषित की गई।

अधिशासी अभियंता द्वारा प्रेषित उक्त स्पष्टीकरण का विश्लेषण निम्नवत् है:–

क्र0	बिंदु	अभियंत्रण विभाग का स्पष्टीकरण	विश्लेषण
1	सेंसर की खराबी के संबंध में समय रहते आवश्यक मरम्मत/रखरखाव कार्य क्यों नहीं किया गया।	अभियांत्रिकी विभाग के अनुसार, लिफ्टों के अक्रियाशील होने का मुख्य कारण 'सेंसर्स' की खराबी नहीं है, बल्कि 'डोर ऑपरेटर', 'ट्रैक शू' और 'डोर कॉन्टैक्ट' जैसे महत्वपूर्ण पुर्जों का खराब होना है। विभाग द्वारा बताया गया है कि इन पुर्जों के लिए फर्म मैसर्स ओटिस को बार–बार निर्देशित किया गया, लेकिन फर्म ने मई 2025 से भुगतान लंबित होने के कारण फर्म के स्टोर्स से स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण समयबद्ध अनुरक्षण बाधित हुआ।	अभियांत्रिकी विभाग का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है। ट्रैक शू और डोर ऑपरेटर जैसे पुर्जे धीरे–धीरे घिसते हैं। कनिष्ठ एवं सहायक अभियंता का यह प्राथमिक दायित्व था कि वे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के माध्यम से इन पुर्जों की स्थिति की रिपोर्ट समय रहते देते। लिफ्टों का पूरी तरह बंद होना यह सिद्ध करता है कि नियमित निरीक्षण केवल कागजी थे और मौके पर तकनीकी स्थिति की अनदेखी की गई।
2	कितनी लिफ्टें वर्तमान में तकनीकी खराबी के कारण अक्रियाशील हैं।	विभाग के अनुसार वर्तमान में कुल 03 लिफ्टें अक्रियाशील हैं:– • **लिफ्ट संख्या 04 (पुराना अस्पताल):** डोर कॉन्टैक्ट खराब होने के कारण। • **लिफ्ट संख्या 06 (पुराना अस्पताल):** लिफ्ट रेल/ट्रैक शू घिस जाने के कारण (सुरक्षा कारणों से बंद)। • **लिफ्ट संख्या 16 (मेडिकल कॉलेज):** डोर ऑपरेटर खराब होने के कारण।	चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज जैसे संवेदनशील क्षेत्र में एक साथ तीन लिफ्टों का बंद होना 'आपातकालीन' स्थिति है। लिफ्ट संख्या 06 को 'सुरक्षा कारणों' से बंद किया जाना यह दर्शाता है कि विभाग को इसके असुरक्षित होने का ज्ञान था, फिर भी इसे ठीक कराने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था समय पर नहीं की गई।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	3	इस गंभीर लापरवाही हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी/ फर्म का नाम।	विभाग ने इस लापरवाही हेतु सीधें तौर पर फर्म मैसर्स ओटिस एलीवेटर को उत्तरदायी ठहराया है। विभाग का कहना है कि भुगतान में देरी के बावजूद अनुबंध (CAMC) की शर्तों के अनुसार फर्म आवश्यक सेवाएं रोकने के लिए उत्तरदायी है। अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया है कि अक्टूबर 2025 से भुगतान की पत्रावली पर अंतिम निर्णय न हो पाना इस स्थिति का कारण है।	• **मैसर्स ओटिस एलीवेटर (फर्म):** अनुबंध की शर्तों धारा–(2) Scope of Maintenance Work का उल्लंघन करते हुए आवश्यक सेवाएं रोकने हेतु फर्म प्राथमिक रूप से दोषी है। • **अधिशासी अभियंता:** मई–जुलाई 2025 की तिमाही के भुगतान की पत्रावली को अगस्त के बजाय अक्टूबर 2025 (3 माह विलंब) में प्रस्तुत करने और उच्चाधिकारियों को समय पर 'अलर्ट' न करने हेतु उत्तरदायी हैं। • **सहायक/कनिष्ठ अभियंता:** मौके पर पुर्जों के घिसने की रिपोर्ट समय से न देने और फर्म पर तकनीकी दबाव न बना पाने हेतु पर्यवेक्षणीय लापरवाही के दोषी हैं।
	4	इस संबध में अब तक क्या कार्यवाही की गई। यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके कारणों का यथोचित स्पष्टीकरण।	• विभाग द्वारा फर्म को निरंतर पत्राचार और बैठकों के माध्यम से मरम्मत हेतु निर्देशित किया गया है। • फर्म के बिलों में नियमानुसार कटौती/पेनल्टी प्रस्तावित की गई है।	विभाग का यह स्पष्टीकरण उनकी अकर्मण्यता को उजागर करता है। मई–जुलाई 2025 की तिमाही का भुगतान अप्रैल 2026 तक (लगभग 11 माह) लंबित रहना और इस दौरान विभाग द्वारा केवल औपचारिक पत्राचार करना यह दर्शाता है कि उन्होंने समस्या के समाधान हेतु समुचित प्रयास नहीं किया।

दीपक वम।
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

अवगत कराना है कि फर्म मे० ओटिस के लंबित देयों से अनुबंध की शर्तों के अनुसार लगभग 50 दिवस की पेनाल्टी की कटौती सुनिश्चित करते हुए भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण में अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं द्वारा की गई गंभीर लापरवाही, जिसमें अधिशासी अभियंता द्वारा भुगतान पत्रावली प्रस्तुत करने में 03 माह का अनावश्यक विलंब करने तथा उच्चाधिकारियों को समय पर अलर्ट न करने का दोष पाया गया है। साथ ही, सहायक अभियंता (विद्युत) एवं कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) द्वारा लिफ्टों के पुर्जों के घिसने की रिपोर्ट समय से न देने और केवल कागजी निरीक्षण करने के कारण चिकित्सालय की 02 लिफ्टें पूर्णतः बंद हुईं। यह स्थिति संवेदनशील अस्पताल क्षेत्र में आपातकालीन संकट उत्पन्न करने वाली एवं पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता की परिचायक है।

लिफ्टों में ए0आर0डी0 सिस्टम की स्थापना में लापरवाही:

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की लिफ्टों में ए0आर0डी0 सिस्टम स्थापित करने के संबंध में फर्म को भुगतान करने हेत पत्रावली अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई। उक्त पत्रावली का परीक्षण करने पर लिफ्टों में ए0आर0डी0 सिस्टम की स्थापना के संबंध में लापरवाही संज्ञान में आने पर अधिशासी अभियंता से निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाने हेतु पत्र दिनांक 30.04.2026 प्रेषित किया गया:–

(1) शासनादेश दिनांक 08.09.2015 के बिन्दु सं० 2 में निर्देश दिये गये थे कि संबंधित संस्थानों / कालेजों में संचालित लिफ्टों हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध यथासमय एवं निर्बाध रूप से निष्पादित किया गया हो तथा आटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस (ARD) अवश्य स्थापित हो। जब उक्त शासनादेश में स्पष्ट निर्देश थे तो लिफ्टों में आटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस (ARD) स्थापित कराने की कार्यवाही तत्समय क्यों नहीं की गयी? विलम्ब का कारण स्पष्ट करें।

(2) मै० ओटीस एलीवेटर द्वारा ई–मेल दिनांक 30.10.2025 के माध्यम से लिफ्टों में ए०आर०डी० सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया था किन्तु दर औचित्य के संबंध में आप द्वारा फर्म को विलम्ब से पत्र प्रेषित किया गया। विलम्ब का कारण स्पष्ट करें। जब लिफ्ट में ए०आर०डी० सिस्टम स्थापित किया जाना अति आवश्यक था तो फर्म को विलम्ब से पत्र भेजने का कारण भी स्पष्ट करें।

(3) कई पत्रावलियों के परीक्षण में यह संज्ञान में आया है कि आप द्वारा पत्रावलियों में भुगतान की संस्तुति नहीं की जाती है मात्र पत्रावलियों को अग्रसारित किया जाता है। कारण स्पष्ट करें।

उक्त प्रेषित पत्र के प्रतिउत्तर में अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र दिनांक पत्र दिनांक 04.05.2026 अभियांत्रिकी विभाग संबंधित अभियंताओं (कनिष्ठ अभियंता–विद्युत एवं सहायक अभियंता–विद्युत) द्वारा संबंधित बिंदुओं की अद्यतन स्थिति से संबंधित आख्या संलग्न कर प्रेषित की गई।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

अधिशासी अभियंता द्वारा प्रेषित उक्त स्पष्टीकरण का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है:–

क्रम सं0	पत्र दिनांक 30.04.2026 में उल्लिखित बिन्दु	अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रेषित उत्तर	टिप्पणी
1	शासनादेश दिनांक 08.09.15 के बिन्दु सं0 2 में निर्देश दिये गये थे कि संबंधित संस्थानों/ कालेजों में संचालित लिफ्टों हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध यथासमय एवं निर्बाध रूप से निष्पादित किया गया हो तथा आटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस (ARD) अवश्य स्थापित हो। जब उक्त शासनादेश में स्पष्ट निर्देश थे तो लिफ्टों में आटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस (ARD) स्थापित कराने की कार्यवाही तत्समय क्यों नहीं की गयी? विलम्ब का कारण स्पष्ट करें।	कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा विश्वविद्यालय में दिनांक 14.03.2024 को कनिष्ठ अभियन्ता के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया। सहायक अभियन्ता (विद्युत) द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश सं0 3210 दिनांक 08.09.2015 के क्रम में तत्समय मा0 कुलपति महोदय के पत्र सं0 1468 दिनांक 07.07.2017 के क्रम में मुख्य चिकित्सालय तथा ओ0पी0डी0 भवन हेतु नवीनीकरण/अपग्रेडेशन कार्यो के अन्तर्गत ए0आर0डी0 सिस्टम की स्थापना की कार्यवाही की गयी थी।	तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा जारी आपूर्ति आदेश सं0 1981 दिनांक 18.08.2017 के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं है कि उक्त आपूर्ति आदेश के सापेक्ष फर्म द्वारा अपग्रेडेशन संबंधी कार्यो को कराया गया है अथवा नहीं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण पत्र में वास्तविक तथ्यों को अंकित न करते हुए मात्र कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) एवं सहायक अभियन्ता (विद्युत) द्वारा प्रेषित रिपोर्ट को अग्रसारित किया गया है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपनी आख्या नहीं उपलब्ध करायी गयी है।
2	मै0 ओटीस एलीवेटर द्वारा ई–मेल दिनांक 30.10.2025 के माध्यम से लिफ्टों में ए0आर0डी0 सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया था किन्तु दर औचित्य के संबंध में आप द्वारा फर्म को विलम्ब से पत्र प्रेषित किया गया। विलम्ब का कारण स्पष्ट करें। जब लिफ्ट में ए0आर0डी0 सिस्टम	अवगत कराना है कि मै0 ओटिस एलीवेटर द्वारा दिनांक 30.10.2025 को लिफ्टों में ए0आर0डी0 स्थापित कियें जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जो कि अधोहस्ताक्षरी को 06.11.2025 को प्राप्त हुआ, जिसके क्रम में पत्रावली पर 13.11.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव	अभियांत्रिकी विभाग पत्रावली माह नवम्बर–2025 में प्रस्तुत की गयी जबकि मा0 कुलपति महोदय द्वारा माह जनवरी–2026 को पत्रावली RIO की गयी। उक्त प्रकिया में लगभग दो माह का गैप है। उक्त के अतिरिक्त संलग्न

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

		स्थापित किया जाना अति आवश्यक था तो फर्म को विलम्ब से पत्र भेजने का कारण भी स्पष्ट करें।	प्रचलित कर दिया गया था। प्रस्तुत प्रस्ताव पर 03.01.2026 को मा0 कुलपति महोदय द्वारा, फर्म द्वारा प्रदान किये गये दर का औचित्य प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। पत्रावली प्राप्त होते ही दर औचित्य प्रदान किये जाने हेतु फर्म को विभाग द्वारा पत्र सं0 745 दिनांक 06.01.2026 प्रेषित किया गया। फर्म द्वारा दिनांक 15.01.2026 को प्रतिउत्तर प्रदान किया गया जो कि संतोषजनक नहीं था। इस संबंध में फर्म के एरिया मैनेजर के साथ बैठक की गयी जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि दर औचित्य के संबंध में फर्म के हेड आफिस से आन्तरिक कार्यवाही प्रचलित है। जवाब प्राप्त न होने पर फर्म को पुनः अनुस्मारक पत्र सं0 863 दिनांक 13.02.2026 तथा पत्र सं0 942 दिनांक 18.03.2026 प्रेषित किया गया। तदोपरान्त फर्म द्वारा दिनांक 25.03.2026 को ई–मेल के माध्यम से दर औचित्य के संबंध में संतोषजनक आख्या प्रदान की गयी। दर औचित्य प्राप्त हेने के उपरान्त पत्रावली दिनांक 28.03.2026 को अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रचलित कर दी गयी।	रिपोर्ट में यह भी अवगत कराया गया है कि तत्कालीन मा0 कुलपति महोदय के पत्र सं0 1981 दिनांक 18.08.2017 के माध्यम से मै0 ओटीस एलीवेटर कं0 (इंडिया) लि0 को लिफ्टों में ए0आर0डी0 सिस्टम स्थापित करने हेतु आपूर्ति आदेश जारी किया गया था। अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया गया है कि फर्म द्वारा उक्त आपूर्ति आदेश के सापेक्ष लिफ्टों में कार्य कराये गये अथवा नहीं, के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। यदि कराये गये हैं तो उक्त कार्य पुनः कराये जाने का क्या औचित्य है। यदि नहीं कराया गया है तो कारण स्पष्ट किया जाये कि फर्म द्वारा उक्त कार्यो को क्यों नहीं कराया गया? अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सौंपे गये कार्यो के प्रति लापरवाही को दर्शाता है।
	3	कई पत्रावलियों के परीक्षण में यह संज्ञान में आया है कि आप द्वारा पत्रावलियों में	अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्रावलियों में भुगतान की कार्यवाही हेतु अपेक्षित संस्तुति की	वर्तमान में भी कई पत्रावलियों में अधिशासी अभियन्ता द्वारा

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	भुगतान की संस्तुति नहीं की जाती है मात्र पत्रावलियों को अग्रसारित किया जाता है। कारण स्पष्ट करें।	जाती है।	भुगतान की संस्तुति न करते हुए मात्र पत्रावलियों को अग्रसारित किया जा रहा है।

अधिशासी अभियंता से उपर्युक्त बिंदुओं पर प्राप्त स्पष्टीकरण के तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट होता है कि अभियांत्रिकी विभाग के संबंधित अभियंताओं द्वारा लिफ्टों में ए0आर0डी0 सिस्टम की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे गये कार्यों में लापरवाही बरती गई।

प्रस्तावः विश्वविद्यालय की लिफ्टों का अक्रियाशील होने और लिफ्टों में ए0आर0डी0 सिस्टम की स्थापना में उपरोक्त वर्णित गंभीर तथ्यों, और स्थिति की संवेदनशीलता को दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैंः–

1. पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता के दृष्टिगत उक्त तीनों दोषी अभियंताओं (अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता–विद्युत एवं कनिष्ठ अभियंता–विद्युत) के विरुद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत विभागीय जाँच संस्थित किए जाने हेतु मा0 कार्य परिषद स्वीकृति प्रदान करना चाहें।
2. मा0 कार्य परिषद प्रकरण की जाँच हेतु जाँच अधिकारी तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– (1) विश्वविद्यालय की लिफ्टों का अक्रियाशील होने और लिफ्टों में ए0आर0डी0 सिस्टम की स्थापना में उपरोक्त वर्णित गंभीर तथ्यों, और स्थिति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत तीनों दोषी अभियंताओं (अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता–विद्युत एवं कनिष्ठ अभियंता–विद्युत) के विरुद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत विभागीय जाँच संस्थित किए जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। (2) मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु डॉ0 प्रशान्त कुमार मिश्रा, प्रोफेसर, एनेस्थीसिया विभाग को जाँच अधिकारी एवं श्री अतुल कुमार वर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 16–21 **कार्य परिषद की 15वीं बैठक दिनांक 25.04.2026 के टेबल एजेण्डा–15.2(T) (फर्म मे0 टी0सी0एस0 कम्पनी के माध्यम से करायी गयी विभिन्न परीक्षाओं में वित्तीय अनियमितता एवं अन्य संबंधित बिंदुओं की जाँच) के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुपालन में गठित समिति की जाँच रिपोर्ट/निष्कर्षों के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कृत कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराए जाने एवं प्रकरण में जाँच संस्थित किए जाने के संबंध में।**	अवगत कराना है कि मा० कार्य परिषद की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 में टेबल एजेण्डा–15.2(T) के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पूर्व में फर्म मे0 टी0सी0एस0 कम्पनी के माध्यम से करायी गयी विभिन्न परीक्षाओं में वित्तीय अनियमितता एवं अन्य संबंधित बिंदुओं की जाँच हेतु गठित जाँच समिति की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में मा0 कार्य परिषद के समक्ष निर्णयार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देश के संबंध में प्रस्तुत किया गया था। मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में गठित जाँच समिति द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया तथा आगामी बैठक में कृत कार्यवाही के संबंध में अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गई। अवगत कराना है कि जाँच समिति द्वारा अपनी आख्या में निम्नलिखित निष्कर्ष दिये गये हैंः– 1. विश्वविद्यालय में जेम पोर्टल पर निविदा Gem/2021/B/1580042 दिनांक 06.10.2021 जिसके सापेक्ष एकल फर्म मेसर्स टाटा

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

कन्सलटेन्सी सर्विसेस लि0, मुम्बई, महाराष्ट्र के द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त फर्म को आपूर्ति आदेश जारी करने हेतु दिनांक 17.11.2021 को नोटशीट पर तत्कालीन कुलपति के द्वारा Rate Justification to be given के निर्देश दिये गये थे, परन्तु फर्म से रेट जस्टिफिकेशन नहीं प्राप्त किया गया तथा अनुबन्ध की कार्यवाही प्रचलित करते हुए तत्कालीन कुलसचिव तथा वित्त अधिकारी के द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से दिनांक 24.12.2024 को फर्म को अनुबन्ध जारी करने हेतु अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया, जिसके सापेक्ष एक वर्ष हेतु अनुबन्ध सम्पादित किया गया।

2. लीगल सेल से जो राय ली गयी वह फर्म के द्वारा प्रेषित अनुबन्ध के आलेख के अनुमोदन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई, जिसमें क्रय प्रक्रिया के संबंध में लीगल राय नहीं दी गयी है। मूल अनुबन्ध का विवरण निम्नवत हैः–

First Original Agreement

Sl No.	Name of Exam.	Agreement Duration	Agreement Base
01	CPPNET 2021	26-11-2021 to 25-11-2022	Gem Tender & Gem Contract

3. उल्लेखनीय है कि जेम निविदा के Introduction about the Project/Services में उल्लेख किया था कि यह निविदा सी0पी0पी0नेट 2021 परीक्षा के लिए है।

   मूल अनुबन्ध की समाप्ति के उपरांत संबंधित पटल अधिकारी द्वारा तथा जे0डी0एम0एम0 द्वारा अनुबन्ध प्रकोष्ठ से संचरित होते हुए कुलसचिव तथा वित्त अधिकारी के माध्यम से सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत सम्पादित अनुबन्ध तथा भुगतान नियमानुसार नहीं पाये गये, जिनमें कोविड–19 प्रोटोकाल SD-100 (Isolation) हेतु निर्धारित दरों पर कोविड–19 की समाप्ति के उपरांत कोविड–19 के दौरान निर्धारित समय की दरों पर ही नियमविरूद्ध तरीके से फर्म मेसर्स टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेस लि0, मुम्बई, महाराष्ट्र को भुगतान करवाया गया।

4. सी0पी0पी0नेट परीक्षा में कुल 7081 परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा में प्रतिभाग किया गया तथा कुल 7081 परीक्षार्थियों के सापेक्ष ही फर्म के द्वारा बिल क्लेम किया गया तथा उसी अनुसार भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त सीपीपीनेट परीक्षा 2023 में प्रथम तथा द्वितीय फेस में क्रमशः 4050 तथा फेस तृतीय में 3851 परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा में प्रतिभाग किया गया तथा क्रमशः 4050 तथा 3851 परीक्षार्थियों के सापेक्ष ही फर्म के द्वारा बिल क्लेम किया गया तथा उसी अनुसार भुगतान किया गया, किन्तु समान अनुबन्ध की शर्तों तथा दरों पर परीक्षार्थियों द्वारा कम संख्या में प्रतिभाग किये जाने पर भी 10,000 परीक्षार्थियों की दर से भुगतान किया गया।

5. वर्ष 2020 परीक्षा में कुल 13340 रजिस्टर्ड परीक्षार्थियों के सापेक्ष 2178 परीक्षार्थियों को फेस तृतीय में बुलाया गया तथा उक्तानुसार ही फर्म को भुगतान किया गया।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

जबकि सी0पी0पी0नेट परीक्षा 2021 में कुल 12303 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हुये तथा कुल 12303 परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा में प्रतिभाग किया गया, पूर्व नियमानुसार तीन गुना अभ्यर्थियों को ही तृतीय फेस में बुलाया जाना था या चार गुना किन्तु फर्म को नियम विरूद्ध तरीके से कुल रजिस्टर्ड 12033 परीक्षार्थियों की दर से तीनों फेस का भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त सी0पी0पी0नेट परीक्षा 2022 में कुल 7081 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हुये तथा कुल 7081 परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा में प्रतिभाग किया गया, पूर्व नियमानुसार तीन गुना अभ्यर्थियों को ही तृतीय फेस में बुलाया जाना था या चार गुना, किन्तु फर्म को नियमविरूद्ध तरीके से कुल रजिस्टर्ड 7081 परीक्षार्थियों की दर से तीनों फेस का भुगतान किया गया।

उपरोक्तानुसार प्राप्त समिति के निष्कर्ष व प्रदत्त निर्देशों के क्रम में समस्त संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

क्र0	नाम	पदनाम	कारण बताओ नोटिस सं0 एवं दिनांक
1.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	तत्कालीन निदेशक (वित्त), अध्यक्ष, सी0पी0पी0एन0ई0टी0–2021, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई	821 दिनांक 04.06.2026
2.	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	तत्कालीन कुलसचिव, सदस्य, सी0पी0पी0एन0ई0टी0–2021, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई	822 दिनांक 04.06.2026
3.	डॉ0 कमल पंत	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, ऑप्टोमेट्री, पैरामेडिकल सदस्य, सी0पी0पी0एन0ई0टी0–2021, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई	823 दिनांक 04.06.2026
4.	श्री सेम्बियन एन0	एसोसिएट प्रोफेसर, नर्सिंग संकाय सदस्य, सी0पी0पी0एन0ई0टी0–2021, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई	1066 दिनांक 04.06.2026
5.	डॉ0 चन्द्रवीर सिंह	प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी विभाग, समन्वयक अधिकारी, सी0पी0पी0एन0ई0टी0–2021, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई	1068 दिनांक 04.06.2026
6.	डॉ0 विनय गुप्ता	एसोसिएट प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी विभाग, सदस्य, सी0पी0पी0एन0ई0टी0 –2021, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई	1067 दिनांक 04.06.2026

अवगत कराना है कि दिनांक 04.06.2026 को जारी किए गए उक्त 06 कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष संबंधित 02 कार्मिकों के स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं तथा शेष 04 के स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रस्तावः विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही से मा० कार्य परिषद अवगत होना चाहें। उक्त प्रकरण अतिगंभीर प्रकृति का एवं नीतिगत है अतः प्राप्त स्पष्टीकरण के

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

	अवलोकनोपरांत प्रकरण में विस्तृत जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है। मा0 कार्य परिषद प्रकरण में जाँच संस्थित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– (1) विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही से मा० कार्य परिषद अवगत हुई। (2) उक्त प्रकरण के अतिगंभीर प्रकृति एवं नीतिगत होने के क्रम में प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकनोपरांत प्रकरण में विस्तृत जाँच की आवश्यकता के दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में जाँच संस्थित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रकरण की विस्तृत जाँच हेतु जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के संबंध में मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 16–22 **कार्य परिषद की 15वीं बैठक दिनांक 25.04.2026 के टेबल एजेण्डा–15.3(T) (विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं0 37/UPUMS/Paramedical/ Pharmacy/2024-25 दिनांक 20.06.2024 के अन्तर्गत की गयी भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त शिकायत) के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुपालन में गठित समिति की जाँच रिपोर्ट/निष्कर्षों के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कृत कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराए जाने एवं प्रकरण में जाँच संस्थित किए जाने के संबंध में।**	अवगत कराना है कि मा० कार्य परिषद की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 में टेबल एजेण्डा–15.3(T) के अंतर्गत विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं0 37/UPUMS/ Paramedical/Pharmacy/ 2024-25 दिनांक 20.06.2024 के अन्तर्गत की गयी भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त शिकायत के क्रम में प्रकरण की जाँच/तथ्यात्मक परीक्षण किये जाने हेतु गठित जाँच समिति की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में मा0 कार्य परिषद के समक्ष निर्णयार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देश के संबंध में प्रस्तुत किया गया था। मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में गठित जाँच समिति द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया तथा आगामी बैठक में कृत कार्यवाही के संबंध में अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गई। अवगत कराना है कि जाँच समिति द्वारा अपनी आख्या में निम्नलिखित निष्कर्ष दिये गये हैं:– 1. प्रांगत प्रकरण में भारत के राजपत्र 2018 संख्या 271, जिसमें पीएचडी तथा एपीआई स्कोर की अनिवार्यता अभिलेख पर होने के बावजूद, नियमविरूद्ध तरीके से भारत के राजपत्र–2018 में निहित प्रावधानों का अनुपालन न करते हुए तथा माननीय न्यायालय एवं शासन को भी भ्रमित करते हुए सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया को नियमविरूद्ध तरीके से सम्पादित किया गया है, जिससे संकेत मिलते हैं कि कतिपय अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अर्हता न होने के बावजूद अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताओं को शिथिल करते हुए चयनित किया जाना परिलक्षित हुआ है। 2. भारत का राजपत्र, 2018 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) विनियम–2018 में निहित अनिवार्य प्रावधानों का समुचित अनुपालन नहीं किया गया है। पी0एच0डी0 उपाधि की अनिवार्यता तथा ए0पी0आई0 (API) स्कोर जैसे मूलभूत मानकों का अनुपालन न करते हुए बिना पीएचडी डिग्री के कम अर्हता वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया जो कि चयन प्रक्रिया की वैधानिकता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। 3. जाँच के दौरान यह संज्ञान में आया है कि चयन प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियात्मक एवं वैधानिक विसंगतियां विद्यमान रहीं, जिनमें अर्हता मानकों का शिथिलीकरण, अभ्यर्थियों की पात्रता का अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण परीक्षण, ज्यादा योग्य अभ्यर्थियों को दरकिनार कर कम योग्यता तथा अनुभव वाले अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित होने से पूर्व कार्यभार ग्रहण कराना, चयन समिति के गठन

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

में संबंधित विषय–विशेषज्ञता का अभाव तथा अभिलेखीय विसंगतियां पाई गई हैं।

4. वेबसाइट पर चयन परिणाम घोषित होने से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों को पर्सनल मेल पर सूचित करते हुए कार्यभार ग्रहण कराना पाया गया।
5. चयनित पात्रों से अधिक योग्य अभ्यर्थियों का चयन न होना पाया गया। अधिक योग्य, अनुभवी एवं पी0एच0डी0 उपाधि धारक अभ्यर्थियों का चयन नहीं करके भारत का राजपत्र, 2018, संख्या–271 के पृष्ठ संख्या–3 के बिंदु 3.10 के अंतर्गत सहायक–आचार्य पद हेतु अनिवार्य रूप से निर्धारित पी0एच0डी0 उपाधि एवं भाग–3, खंड–4 के पृष्ठ संख्या–5 में विश्वविद्यालय में सहायक–आचार्य पद हेतु अभ्यर्थियों को केवल उनके शैक्षणिक प्राप्तांकों (API) के कुल योग के आधार पर ही साक्षात्कार हेतु चयनित किए जाने के नियमों के विपरीत मयंक पाल सिंह एवं ममता वर्मा को चयनित कर लिया गया।

उपरोक्तानुसार प्राप्त समिति के निष्कर्ष व प्रदत्त निर्देशों के क्रम में समस्त संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0	नाम	पदनाम	कारण बताओ नोटिस सं0 एवं दिनांक
1.	डॉ0 पी0के0 जैन	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई	871 दिनांक 19.05.2026
2.	डॉ0 गौरीशंकर पौद्दुरी	एसोसिएट प्रोफेसर, फिजियोथेरेपी विभाग, पैरामेडिकल, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई	873 दिनांक 19.05.2026
3.	डॉ0 गीता मौर्या	प्रोफेसर (जू0ग्रेड), पैथोलॉजी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई	874 दिनांक 19.05.2026
4.	डॉ0 यादव निशा राज बहादुर सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर, एनाटामी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई	875 दिनांक 19.05.2026
5.	डॉ0 कमल पंत	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, ऑप्टोमेट्री विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई	876 दिनांक 19.05.2026
6.	डॉ0 बिपिन कुमार यादव	प्रोफेसर (जू0ग्रेड), डेन्टिस्ट्री विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई	877 दिनांक 19.05.2026
7.	डॉ0 गणेश वर्मा	प्रोफेसर (जू0ग्रेड), पीडियाट्रिक विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई	878 दिनांक 19.05.2026
8.	डॉ0 जितेन्द्र प्रसाद मथुरिया	प्रोफेसर, एम0एल0टी0 विभाग, पैरामेडिकल, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान	879 दिनांक 19.05.2026

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

		विश्वविद्यालय, सैफई	
9.	डॉ0 सिद्धार्थ कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर, रेडिएशन आंकोलॉजी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, रेडियोलॉजिकल एण्ड इमेजिंग टेक्निक्स (पैरामेडिकल), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई	880 दिनांक 19.05.2026
10.	डॉ0 जय बृजेश सिंह यादव	एसोसिएट प्रोफेसर, एनेस्थीसियोलॉजी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई	881 दिनांक 19.05.2026

अवगत कराना है कि दिनांक 19.05.2026 को जारी किए गए उक्त 10 कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष समस्त संबंधित के स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं।

प्रस्तावः विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही से मा० कार्य परिषद अवगत होना चाहें। उक्त प्रकरण अतिगंभीर प्रकृति का एवं नीतिगत है अतः प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकनोपरांत प्रकरण में विस्तृत जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है। मा0 कार्य परिषद प्रकरण में जाँच संस्थित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– (1) विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही से मा० कार्य परिषद अवगत हुई। (2) उक्त प्रकरण के अतिगंभीर प्रकृति एवं नीतिगत होने के क्रम में प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकनोपरांत प्रकरण में विस्तृत जाँच की आवश्यकता के दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में जाँच संस्थित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रकरण की विस्तृत जाँच हेतु जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के संबंध में मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 16–23

डॉ0 विवेक कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी (एन0एफ0एस0जी0) के विरुद्ध की गई शिकायत की जाँच हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या के आधार पर डॉ0 विवेक कुमार के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अनुसार विभागीय जाँच संस्थित किये जाने के संबंध में।

प्रस्तावनाः अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा विभाग में पदस्थ डॉ0 विवेक कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी (एन0एफ0एस0जी0) के विरुद्ध की गई शिकायत के निस्तारण हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर डॉ0 विवेक कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी (एन0एफ0एस0जी0) को विश्वविद्यालय की निहित व्यवस्था का पालन न करने हेतु समिति द्वारा प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है।

पृष्ठभूमिः अवगत कराना है कि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या एम0ई0–2/2025/1045 दिनांक 17.06.2025 के माध्यम से रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल, लखनऊ के पत्र संख्या 1446/25 दिनांक 06.02.2025 एवं अवर सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, आचार और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड, पॉकेट–14, सेक्टर–8, द्वारका फेस–1, नई दिल्ली के पत्र संख्या R-16018/63/2025/Ethics/001665 दिनांक 15.01.2025 के साथ संलग्न श्री देवेन्द्र सिंह के पत्र दिनांक 20.11.2024 की छायाप्रति संलग्न करते हुए शिकायत पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता को भी अवगत कराने का निर्देश दिया गया था। उक्त शिकायत के निस्तारण हेतु कार्यालय आदेश संख्या 1796/यूपीयूएमएस/अधि0–।/18/2025–26 दिनांक 04.08.2025 के माध्यम से तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। उपरोक्त समिति द्वारा अपनी जाँच आख्या पत्र दिनांक 01.04.2026 के माध्यम से प्रेषित की गई है। समिति द्वारा निम्न तथ्यों पर अपनी

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	सहमति व्यक्त की गई है :– 1. "डॉ0 विवेक कुमार द्वारा 3 माह तक एक ही पर्चे पर बिना वैध अवधि 15 दिन (4 जुलाई 2023 तक वैध) से अधिक इलाज किया गया जो कि सामान्य प्रक्रिया का उल्लंघन है। डॉ0 विवेक कुमार द्वारा उक्त के जवाब में स्पष्ट किया गया है कि सहानुभूति एवं मरीज की सुविधा को देखकर किया गया। डॉ0 विवेक कुमार द्वारा सहानुभूति एवं मरीज सुविधा को ढाल नहीं बनाया जा सकता। ऐसी स्थिति में समिति डॉ0 विवेक कुमार के पास उक्त कृत्य को प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानती है। 2. डॉ0 विवेक कुमार से पूछे गए प्रश्न सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार क्या है? कब सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तैयार की जाती है, के उत्तर में डॉ0 विवेक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि **पुलिस विवेचना अधिकारी के अधिकारिक पत्र पर।** उक्त के संबंध में जाँच कमेटी द्वारा प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार उक्त वर्णित केस में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट बनाने का अधिकार MLC प्राथमिक चिकित्सक अर्थात चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिधुना औरैया को ही है। डॉ0 विवेक कुमार द्वारा सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जारी कर दी गई जो कि पूर्ण रूप से अनुचित है। 3. दिनांक 19/20/06/2023 को चिकित्सा अधिकारी सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र (औरैया) द्वारा अपनी प्राथमिक ओपिनियन में "Above injury caused by blunt object, simple in nature duration about fresh" वर्णन किया गया है। दिनांक 14/09/2023 को जो कि घटना के लगभग 03 माह बाद CT brain जो कि Saifai Diagnostic Centre, Saifai के द्वारा किया गया जिसमें Impression में "Resolving Epidural Hematoma of Maximum thickness 9.2mm along the left parietal convexity causing effacement of adjoining Sulci" का वर्णन किया गया है। जो कि दिनांक 23/09/2023 को डॉ0 विवेक चौधरी द्वारा सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में दिनांक 14/09/2023 को हुए सी.टी. स्कैन के आधार पर निम्नवत रिपोर्ट दी गई है। Finding – Sharp head injury resolving EDH of maximum thickness 9.2mm along the left parietal convexity causing effacement of adjoining Sulci. Diagnosis – Contusion with Hamerrhage- Resolving Epidural hematoma of maximum thickness 9.2mm along the Left/ Right parietal convexity causing effacement of adjoining sulci. Impression - Sharp injury with head injury caused due to hit by sharp object. Nature – Grievous injury. डॉ0 विवेक द्वारा दिनांक 19/06/2023 एवं 14/09/2023 की रिपोर्ट जिसमें किसी भी प्रकार से Sharp injury by Sharp object का वर्णन नहीं था, घटना से लगभग 03 माह पश्चात अपनी रिपोर्ट बनाई गई जिसमें बिना Radio Diagnosis की डिग्री के sharp injury with head injury caused due to hit by sharp object, Nature- Grievous Injury का वर्णन किया गया है। जबकि मरीज उर्मिला द्वारा वि.वि. में दिनांक 20/06/2023 को पर्चा बनवाया गया था, तीन महीने बाद Grievance hurt, sharp injury, sharp object का वर्णन डॉ0 विवेक द्वारा किया गया है यदि

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

मरीज डॉ0 विवेक द्वारा प्रस्तुत सप्लीमेंट्री रिपोर्ट के आधार पर माना जाए तो उक्त को तुरन्त भर्ती होने अथवा गम्भीर परिस्थिति में होना चाहिए था। जिस क्रम में दिनांक 20/06/2023 को ही मरीज को विश्वविद्यालय में भर्ती किया जाना चाहिए था। जो कि नहीं किया गया, अथवा कि दशा में न्यूरो विभाग को रेफर किया जाना था, वह भी नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत डॉ0 विवेक की भूमिका प्रथम दृष्ट्या संदिग्ध पायी जाती है।

4. डॉ0 विवेक से पूछे गए प्रश्न कि क्या आप पुलिस कार्मिक के निर्देशन पर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट देने के लिए अधिकृत हैं, के उत्तर में डॉ0 विवेक द्वारा (हाँ) का उत्तर दिया गया है जबकि वि.वि. की व्यवस्था के अनुसार किसी भी पत्राचार हेतु उचित माध्यम का पालन किया जाना अनिवार्य है। अतः डॉ0 विवेक को नियमों के उल्लंघन करने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी माना जाता है।
5. डॉ0 विवेक को मरीज को न्यूरोलॉजी विभाग या अन्य संबंधित विभाग में रेफर किया जाना था जो कि उनके द्वारा न्यूरोलॉजी विभाग या अन्य संबंधित विभाग को रेफर न करके स्वयं 03 माह तक इलाज किया गया। अतः इस कृत्य से उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी माना जाता है।
6. प्रश्नोत्तरी के प्रश्न संख्या–14–सी टी रिपोर्ट में finding के आधार पर मरीज भर्ती योग्य नहीं था। क्या आपके द्वारा मरीज को भर्ती करने की सलाह दी गई? यदि मरीज संबंधित विभाग में नहीं पाया गया तो आपने किस आधार पर इलाज किया? क्या आपको उक्त की विशेषज्ञता हासिल है? के उत्तर में डॉ0 विवेक द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है।"

समिति का निष्कर्षः उपरोक्त वर्णित तथ्यों, स्पष्टीकरणों एवं सम्यक विश्लेषणोपरान्त जाँच समिति का मन्तव्य निम्नवत है :–

1. डॉ0 विवेक चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उक्त वर्णित केस में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट बनाने हेतु अधिकृत न होते हुए तथा विश्वविद्यालय की निहित व्यवस्था (अर्थात उचित माध्यम) का पालन न करने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाते हैं।
2. समिति डॉ0 विवेक द्वारा Casualty के पर्चे पर बिना अवधि विस्तारित किये लगातार इलाज करने का प्रथम दृष्टया दोषी पाती है।
3. दिनांक 19/06/2023, 20/06/2023 की OPD Slip व 14/09/2023 की NCT head की रिपोर्ट से भिन्न Impression देने पर, जबकि डॉ0 विवेक के पास (MD) Radio-Diagnosis की डिग्री न होंने पर उक्त finding को देने पर समिति प्रथम दृष्टया डॉ0 विवेक को दोषी मानती है।

प्रस्तावः डॉ0 विवेक कुमार द्वारा उक्त केस में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट बनाने हेतु अधिकृत न होने तथा विश्वविद्यालय की निहित व्यवस्था का पालन न करने, कैजुअल्टी के पर्चे पर बिना अवधि विस्तारित किये लगातार इलाज करने और डिग्री न होने पर finding देना मात्र

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	प्रक्रियात्मक चूक नहीं, बल्कि गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है, जिसके दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत विभागीय जाँच संस्थित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– डॉ0 विवेक कुमार द्वारा उक्त केस में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट बनाने हेतु अधिकृत न होने तथा विश्वविद्यालय की निहित व्यवस्था का पालन न करने, कैजुअल्टी के पर्चे पर बिना अवधि विस्तारित किये लगातार इलाज करने और डिग्री न होने पर finding देना मात्र प्रक्रियात्मक चूक न होने, बल्कि गंभीर कदाचार की श्रेणी में आने के दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद द्वारा इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत विभागीय जाँच संस्थित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु डॉ0 दुर्गेश कुमार, प्रोफेसर, पीडियाट्रिक्स विभाग को जाँच अधिकारी एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार, सहा0 प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 16–24 **विश्वविद्यालय के 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की विद्युत सेवाओं (एच०टी०/एल०टी० सबस्टेशन और 11 नग डी०जी० सेट्स) के हस्तांतरण की प्रक्रिया में हुए अत्यधिक विलम्ब, अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं के मध्य समन्वय के अभाव और तथ्यों को छुपाने जैसे गंभीर प्रकरणों के दृष्टिगत प्रकरण में तथ्यों के परीक्षण के संबंध में गठित Fact Finding Committee की आख्या के क्रम में प्रकरण की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय जाँच संस्थित किए जाने के संबंध में।**	• अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के 500 बेडेड सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक के विद्युत सब–स्टेशन हस्तांतरण प्रकरण में बरती गई शिथिलता एवं अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं के मध्य विरोधाभासों, समन्वय के पूर्ण अभाव और 01 वर्ष तक पत्रावली लंबित रखने के कारणों से संबंधित तथ्यों के अन्वेषण हेतु Fact Finding Committee के गठन के सम्बन्ध में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष 15वीं बैठक दिनांक 25.04.2026 में एजेण्डा बिंदु 15–20 के अन्तर्गत अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था। • मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रकरण से अवगत होते हुए Fact Finding Committee की संरचना पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी बैठक में Fact Finding Committee की आख्या से अवगत कराये जाने के निर्देश दिए गए। • मा0 कार्य परिषद की सहमति के क्रम में विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 849/यूपीयूएमएस/अभि0(2828–सी0डी0)/2026–27 दिनांक 18 मई, 2026 के द्वारा विश्वविद्यालय के अंतर्गत 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की विद्युत सेवाओं (एच०टी०/एल०टी० सबस्टेशन और 11 नग डी०जी० सेट्स) के हस्तांतरण की प्रक्रिया में हुए अत्यधिक विलम्ब, अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं के मध्य समन्वय के अभाव और तथ्यों को छुपाने जैसे गंभीर प्रकरणों के दृष्टिगत प्रकरण में तथ्यों के परीक्षण हेतु चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय Fact Finding Committee का गठन किया गया। • उक्त गठित Fact Finding Committee को निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर जाँच करने के निर्देश दिए गएः– ▪ अभियंत्रण विभाग के संबंधित अभियंताओं द्वारा कर्तव्यों के पालन में शिथिलता, शासकीय आदेशों की अवहेलना और लापरवाही के कारणों की सूक्ष्म जाँच करना। ▪ पत्रावली को लगभग एक वर्ष तक लंबित रखने के कारणों को स्पष्ट करना और इसके लिए उत्तरदायी दोषियों को चिह्नित करना। ▪ लापरवाही के कारण उपकरणों की Warranty, DLP एवं CMC

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	के संबंध में विश्वविद्यालय को होने वाली संभावित वित्तीय हानि का आंकलन करना। ▪ कार्यदायी संस्था और उपसंविदाकार (मे० सांई कूलिंग प्वाइंट प्रा०लि०) की भूमिका का परीक्षण करना। • उक्त गठित Fact Finding Committee द्वारा पत्र दिनांक 23.06.2026 के माध्यम से आख्या प्रस्तुत की गई है, जिसे मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। **Fact Finding Committee का निष्कर्ष** अभिलेखों के परीक्षण से यह परिलक्षित होता है कि एच0टी0/एल0टी0 सबस्टेशन एवं 11 नग डी0जी0 सेट्स के हस्तांतरण की प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं की गयी। हस्तांतरण संबंधी कमियों के निराकरण, कार्यदायी संस्था एवं उपसंविदाकार के साथ समन्वय स्थापित करने तथा पत्रावली के समयबद्ध निस्तारण के संबंध में अभियंत्रिकी विभाग के स्तर पर अपेक्षित अनुवर्ती कार्यवाही एवं समयबद्ध निस्तारण न किए जाने के कारण प्रकरण लगभग एक वर्ष तक लंबित रहा। अभिलेखों से यह भी परिलक्षित होता है कि सी0एम0सी0 व्यवस्था के संबंध में तत्कालीन कुलपति डॉ0 पी0 के0 सिंह द्वारा कार्यदायी संस्था यूपी निर्माण निगम एवं ओ0ई0एम0 के माध्यम से पृथक–पृथक व्यवस्था किए जाने संबंधी निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त तथ्यों के आलोक में वारंटी, डी0एल0पी0 एवं सी0एम0सी0 से संबंधित वित्तीय एवं संविदात्मक प्रभावों तथा विभिन्न स्तरों पर की गई कार्यवाहियों का सक्षम स्तर पर परीक्षण किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। **प्रस्तावः** मा0 कार्य परिषद Fact Finding Committee की संस्तुति के क्रम में प्रकरण की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय जाँच संस्थित करने का अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा Fact Finding Committee की संस्तुति के क्रम में प्रकरण की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय जाँच संस्थित करने का अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु डॉ0 शैलेन्द्र पाल सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को जाँच अधिकारी एवं श्री मिथलेश दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 16–25 **विश्वविद्यालय के दो आचार्यों–डॉ० संदीप कुमार (प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन) एवं डॉ० वैभव कांति (प्रोफेसर, ऑब्स एण्ड गायनी) द्वारा चीफ वार्डन के दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता, निविदा प्रक्रिया में असहयोग तथा आदेशों की अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण अस्वीकृत होने के उपरांत आगामी अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में।**	• विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा डॉ० संदीप कुमार (प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन) को चीफ वार्डन (पुरूष छात्रावास) एवं डॉ० वैभव कांति (प्रोफेसर, ऑब्स एण्ड गायनी) को चीफ वार्डन (महिला छात्रावास) नामित किया गया था। • विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी संकाय तथा एमबीबीएस एवं पोस्ट ग्रेजुएट (पी0जी0) छात्र/छात्राओं के छात्रावासों से संबंधित मेस हेतु नई निविदा का प्रकाशन किया जाना विश्वविद्यालय स्तर पर गतिमान था, जिसके लिए चीफ वार्डन (पुरूष छात्रावास) एवं चीफ वार्डन (महिला छात्रावास) के माध्यम से छात्र/छात्राओं द्वारा तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को पूर्व में प्रशासन शाखा में प्रेषित करवाया गया था। उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत अध्यक्ष, निविदा समिति द्वारा

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

	आयोजित बैठकों में भी चीफ वार्डन (पुरूष छात्रावास) एवं चीफ वार्डन (महिला छात्रावास) द्वारा प्रतिभाग किया गया था। • निविदा के ड्राफ्ट पर चीफ वार्डन (पुरूष छात्रावास) एवं चीफ वार्डन (महिला छात्रावास) की सहमति आवश्यक थी किंतु दोनों चीफ वार्डन्स द्वारा बिना किसी तर्कसंगत कारण के निविदा ड्राफ्ट पर सहमति देने से इंकार कर दिया गया, जिसके कारण जेम पोर्टल पर टेण्डर प्रकाशित करने में विलम्ब हुआ। • उक्त दोनों कार्मिकों का आचरण सरकारी सेवक से अपेक्षित कर्तव्यपरायणता तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए दायित्वों के समुचित निर्वहन के अनुरूप न होने तथा शासकीय/प्रशासनिक आदेशों का अनुपालन न करने के कारण डॉ० संदीप कुमार (प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन) को पत्र सं0 164/यूपीयूएमएस/वीसीओ/2025–सी0डी0/2026–27 दिनांक 10.06.2026 तथा डॉ० वैभव कांति (प्रोफेसर, ऑब्स एण्ड गायनी) को पत्र सं0 163/यूपीयूएमएस/वीसीओ/2025–सी0डी0/2026–27 दिनांक 10.06.2026 जारी करते हुए 03 दिवसों में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। • डॉ० संदीप कुमार (प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन) द्वारा अपना स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 12.06.2026 तथा डॉ० वैभव कांति (प्रोफेसर, ऑब्स एण्ड गायनी) द्वारा अपना स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 15.06.2026 के द्वारा प्रस्तुत किया गया। डॉ0 संदीप कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में ग्रीष्मकालीन अवकाश पर होने तथा डॉ० वैभव कांति द्वारा अपने स्पष्टीकरण में ओपीडी/व्याख्यान की व्यस्तता का तर्क दिया गया। • उक्त दोनों स्पष्टीकरणों को मा0 कुलपति महोदय द्वारा अवलोकनोपरान्त अस्वीकार कर दिया गया। **प्रस्तावः** डॉ० संदीप कुमार (प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन) एवं डॉ० वैभव कांति (प्रोफेसर, ऑब्स एण्ड गायनी) द्वारा चीफ वार्डन के दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता, निविदा प्रक्रिया में असहयोग तथा आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता करने के क्रम में मा0 कार्य परिषद इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा डॉ० संदीप कुमार (प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन) एवं डॉ० वैभव कांति (प्रोफेसर, ऑब्स एण्ड गायनी) द्वारा चीफ वार्डन के दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता, निविदा प्रक्रिया में असहयोग तथा आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता करने के क्रम में इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु डॉ0 रमाकांत यादव, प्रति–कुलपति को जाँच अधिकारी एवं श्री बीरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 16–26 **उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई में Cloud-based Vendor Neutral Archive (VNA), Picture Archiving & Communication System (PACS) तथा AI/ML-enabled Radiology Information System (RIS) की स्थापना एवं राज्य के अन्य संस्थानों हेतु Scalable Framework विकसित किए जाने के संबंध में।**	**प्रस्तावना:** – उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में रेडियोलॉजी सेवाओं के डिजिटलीकरण, डिजिटल इमेज आर्काइविंग, इंटरऑपरेबिलिटी, AI–सहायित रिपोर्टिंग तथा भविष्य में राज्यव्यापी विस्तार योग्य (Scalable) व्यवस्था विकसित करने हेतु Cloud-based Vendor Neutral Archive (VNA), Picture Archiving – Communication System (PACS) एवं AI/ML-enabled Radiology Information System (RIS) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। **पृष्ठभूमि:–** 1. इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री/कुलाधिपति महोदय को प्रस्ताव प्रेषित किए जाने के उपरांत चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 17.02.2026 द्वारा UPUMS, सैफई में उक्त प्रणाली को विकसित कर राज्य के अन्य सरकारी चिकित्सा संस्थानों हेतु एक Replicable एवं Scalable Model के रूप में विकसित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। 2. तदनुसार, UPUMS द्वारा दिनांक 19.02.2026 को UPDESCO से विस्तृत प्रस्ताव, प्रस्तावित प्रणाली की व्यवहार्यता, आवश्यकता मूल्यांकन, तकनीकी संरचना, कार्यप्रवाह (Workflow), System Requirement Specifications (SRS), Scope of Work तथा Request for Proposal (RFP) तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। 3. परियोजना को राज्य स्तर पर विस्तार योग्य (Statewide Scalable) स्वरूप में विकसित किए जाने की अवधारणा के अनुरूप UPDESCO द्वारा विस्तृत तकनीकी अध्ययन, कार्यप्रवाह विश्लेषण एवं कार्यान्वयन मॉडल विकसित किया गया। **कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णय:** – 1. परियोजना के संबंध में UPUMS एवं UPDESCO के मध्य विभिन्न स्तरों पर अनेक तकनीकी एवं प्रशासनिक बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें परियोजना की तकनीकी संरचना, कार्यप्रवाह, वाणिज्यिक मॉडल, मॉड्यूलर कार्यान्वयन व्यवस्था, इंटरऑपरेबिलिटी, ABDM अनुपालन, डेटा गवर्नेंस एवं निविदा दस्तावेजों पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया। 2. UPDESCO द्वारा मेडिकल कॉलेजों, जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फील्ड सर्वे, आवश्यकता मूल्यांकन (Requirement Assessment), कार्यप्रवाह अध्ययन (Workflow Analysis), हितधारक परामर्श (Stakeholder Consultation) एवं व्यवहार्यता परीक्षण (Validation Exercise) की कार्यवाही संपन्न की गई। 3. उपर्युक्त कार्यवाहियों के आधार पर System Requirement Specifications (SRS), तकनीकी वास्तुकला (Architecture), Scope of Work, Bill of Quantities (BoQ), मॉड्यूलर कार्यान्वयन ढाँचा तथा प्रारूप Request for Proposal (RFP) तैयार एवं परिष्कृत किए गए हैं। 4. परियोजना की स्वतंत्र तकनीकी एवं नैदानिक एवं डिजिटल–स्वास्थ्य दृष्टिकोण से समीक्षा एवं सत्यापन हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), कानपुर के प्रो०(डॉ०) यतेन्द्र नाथ सिंह

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

	को External Domain Expert के रूप में नामित किया गया है। 5. दिनांक 25.05.2026 को आयोजित समीक्षा बैठक में परियोजना को Procurement Finalisation Stage तक पहुँचने का संज्ञान लिया गया तथा निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक शेष औपचारिकताओं को पूर्ण किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई। 6. उक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में UPUMS द्वारा दिनांक 18.06.2026 को UPDESCO को आवश्यक Volume Data एवं Planning Assumptions उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिनका उपयोग Estimated Contract Value (ECV), Earnest Money Deposit (EMD) एवं Performance Bank Guarantee (PBG) के निर्धारण हेतु किया जा सकेगा। 7. परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में UPUMS, सैफई में X-Ray, Ultrasound (USG), CT एवं MRI मॉड्यूल के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है, जबकि अन्य मॉड्यूल एवं इमेजिंग सुविधाओं को आवश्यकता एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अनुसार भविष्य में सक्रिय किया जा सकेगा। **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः–** शासकीय निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा अब तक किये गये कार्यों को संज्ञान में लेते हुए सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान की गयी तथा निर्देश दिये गये कि इस एजेण्डा को आगामी कार्य परिषद की बैठक में नवीन एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत किया जाये तथा उक्त प्रस्तावों पर कार्यपरिषद के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाये। **प्रस्तावः** – हॉस्पिटल बोर्ड के उक्त निर्णय के क्रम में मा0 कार्य परिषद के समक्ष निम्नलिखित बिंदु प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं– 1. Cloud-based Vendor Neutral Archive (VNA), Picture Archiving – Communication System (PACS) एवं AI/ML-enabled Radiology Information System (RIS) परियोजना की वर्तमान प्रगति एवं अब तक की गई कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत होना चाहें। 2. UPDESCO को लागू शासनादेशों, वित्तीय नियमों, GFR- 2017, GeM एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप उक्त परियोजना हेतु Procurement Support Agency / Project Management Agency के रूप में कार्य करने तथा निविदा प्रक्रिया संपादित करने की स्वीकृति मा0 कार्य परिषद प्रदान करना चाहें। 3. UPDESCO के पक्ष में प्रस्तावित Letter of Intent / In-Principle Commitment जारी किए जाने की स्वीकृति मा0 कार्य परिषद प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– (1) Cloud-based Vendor Neutral Archive (VNA), Picture Archiving – Communication System (PACS) एवं AI/ML-enabled Radiology Information System (RIS) परियोजना की वर्तमान प्रगति एवं अब तक की गई कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई।
(2) मा0 कार्य परिषद द्वारा UPDESCO को लागू शासनादेशों, वित्तीय नियमों, GFR- 2017, GeM एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप उक्त परियोजना हेतु Procurement Support Agency / Project Management Agency के रूप में कार्य करने तथा निविदा प्रक्रिया संपादित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
(3) मा0 कार्य परिषद द्वारा UPDESCO के पक्ष में प्रस्तावित Letter of Intent / In-Principle Commitment जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 16–27 **ब्लड बैंक TTI लैब में ID-NAT मशीन (नवीन उपकरण) की स्थापना हेतु M/s POCT Service द्वारा नवीनीकरण के कार्य का प्रस्ताव।**	**प्रस्तावनाः–** वर्तमान में ब्लड डोनर्स की ID-NAT (Individual Donor-Nucleic Acid Testing जॉच संस्थान के बाहर एनएचएम आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से कराई जा रही है। ID NAT Individual Donor Nucleic Acid Testing (NAT) जॉच को विश्वविद्यालय के द्वारा ब्लड बैंक विभाग में प्रारम्भ किए जाने के संदर्भ में M/s POCT Service से प्राप्त प्रस्ताव एवं उक्त संदर्भ की गयी कार्यवाही निम्नवत हैः– **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः –** 1. M/s POCT Service द्वारा "Supply & Installation of Maintenance Free ID-NAT System" हेतु पूर्व से प्रभावी एमओयू में उक्त सर्विस को सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में JDMM कार्यालय द्वारा पत्रांक 680 /UPUMS/MM&D/24•7/BB&NAT (2442&CD/25&26), दिनांक 05.01.2026 के माध्यम से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त करते हुये सप्लाई ऑर्डर निर्गत किया जा चुका है। 2. उक्त मशीन के इंस्टॉलेशन हेतु ब्लड बैंक TTI (Transfusion Transmitted Infection) लैब में नवीनीकरण का कार्य होना प्रस्तावित है, जिसका व्यय भार M/s POCT Service द्वारा वहन किया जाएगा एवं विश्वविद्यालय पर उक्त कार्य हेतु कोई वित्तीय व्यय भार नहीं आएगा। 3. भविष्य में 500 बेडेड बिल्डिंग में तकनीकी कारणों के पूर्ण होने पर मशीन को वहां स्थानांतरित कर पुनः स्थापित किया जाएगा जिसका व्यय भार M/s POCT Service द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है। 4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ब्लड सर्विसेस एवं ब्लड डिसऑर्डर कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के रक्त केंद्र में In house ID NAT Individual Donor Nucleic Acid Testing (NAT) गतिविधियों के संचालन हेतु एफ.एम.आर.कोड 156.4 के अंतर्गत अनुमानित धनराशि रू. 1,90,00,000/–(एक करोड़ नब्बे लाख रूपये) आवंटित/स्वीकृत करने हेतु पत्रांक 191/ई/यूपीयूएमएस/कु0का0/2025–26 दिनांक 18 फरवरी, 2026 के द्वारा एवं पुनः पत्रांक 204/बीबी/यूपीयूएमएस/26–27 दिनांक 3 जून, 2026 के द्वारा अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय में Cobas 5800 System (Roche) आधारित ID-NAT परीक्षण सुविधा स्थापित की जा रही है, जिसके माध्यम से HIV, HBV एवं HCV का अत्यधिक संवेदनशील परीक्षण विश्वविद्यालय में ही किया जाएगा। **हॉस्पिटल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावः–** 1. कय आदेश संख्या 680 /UPUMS/MM&D/24•7/BB&NAT (2442&CD/25&26), दिनांक 05.01.2026 के कम में M/s POCT Service द्वारा "Supply & Installation of Maintenance Free ID-NAT System" की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करना। 2. ID-NAT System के इंस्टॉलेशन हेतु ब्लड बैंक TTI (Transfusion

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

	Transmitted Infection) लैब में प्रस्तावित नवीनीकरण के कार्य को M/s POCT Service द्वारा विश्वविद्यालय पर बिना किसी वित्तीय व्यय भार के किए जाने हेतु अनुमति प्रदान करना। 3. भविष्य में 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में तकनीकी कारणों के पूर्ण होने पर ID-NAT System को 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में बिना किसी वित्तीय भार के स्थानांतरित कर पुनः स्थापित किये जाने हेतु M/s POCT Service को निर्देशित किया जाना। 4. पूर्व में In house ID NAT Individual Donor Nucleic Acid Testing (NAT) गतिविधियों के संचालन हेतु एफ.एम.आर.कोड 156.4 के अंतर्गत अनुमानित धनराशि रू. 1,90,00,000/–(एक करोड़ नब्बे लाख रूपये) आवंटित/स्वीकृत करने हेतु किए गए अनुरोध के संदर्भ में संयुक्त निदेशक सामग्री प्रबंधन के द्वारा धनराशि का आवंटन प्राप्त होने तक नियमित रूप से पत्राचार एवं फॉलो अप किया जाएगा। 5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जब तक प्रस्तावित धनराशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक उक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में उक्त टेस्ट हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि का वहन किस मद से किया जाए के सम्बन्ध में चर्चा की आवश्यकता है। **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः**– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये– 1. बिंदु संख्या 01 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि Cobas 5800 System (Roche) मशीन में कौन–कौन सी जॉच की जा सकती है, के सन्दर्भ में M/s POCT से आख्या प्राप्त कर ली जाये। 2. बिंदु संख्या 04 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया, चूँकि वर्तमान में विश्वविद्यालय में वर्तमान में कोई भी स्थायी जे.डी.एम.एम. नहीं है, अतः भविष्य में पत्रों एवं अन्य अभिलेखों में जे.डी.एम.एम. पदनाम का उल्लेख न किया जाये। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से विश्वविद्यालय स्तर पर किए गए पत्राचार के कम में धनराशि की स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय से विभागाध्यक्ष, ट्रान्सफ्यूजन मेडिसिन विभाग द्वारा व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हुए फालो अप लिया जाएगा। 3. उपरोक्त प्रस्ताव के बिन्दु संख्या–4 व 5 में वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव को आगामी कार्य परिषद में नवीन एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी। **प्रस्तावः** हॉस्पिटल बोर्ड की संस्तुति के आलोक में मा0 कार्य परिषद से अनुरोध है कि:– 1. पूर्व में In house ID NAT Individual Donor Nucleic Acid Testing (NAT) गतिविधियों के संचालन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	(NHM) से एफ.एम.आर.कोड 156.4 के अंतर्गत अनुमानित धनराशि रू0 1,90,00,000/– (एक करोड़ नब्बे लाख रूपये) आवंटित/स्वीकृत करने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर की गई कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत होना चाहें। 2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) से जब तक प्रस्तावित धनराशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक अंतरिम अवधि में टेस्ट के संचालन हेतु वित्तीय मद/फंड के निर्धारण में वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण, उक्त प्रकरण को विश्वविद्यालय की वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु मा० कार्य परिषद सहमति प्रदान करना चाहें।
<u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> (1) पूर्व में In house ID NAT Individual Donor Nucleic Acid Testing (NAT) गतिविधियों के संचालन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) से एफ.एम.आर.कोड 156.4 के अंतर्गत अनुमानित धनराशि रू0 1,90,00,000/– (एक करोड़ नब्बे लाख रूपये) आवंटित/स्वीकृत करने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर की गई कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई। (2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) से जब तक प्रस्तावित धनराशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक अंतरिम अवधि में टेस्ट के संचालन हेतु वित्तीय मद/फंड के निर्धारण में वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण, उक्त प्रकरण को विश्वविद्यालय की वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु मा० कार्य परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गई।	
<u>एजेण्डा बिन्दु 16–28</u> **उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई में Enhanced Hospital Information Management System (HIMS) Framework के विकास एवं Programme Implementation Agency (PIA) के चयन हेतु प्रस्तावित निविदा प्रक्रिया के संबंध में।**	**<u>प्रस्तावनाः</u>** – उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई द्वारा राज्य में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं, क्लिनिकल कार्यप्रवाहों (Clinical Workflows), अस्पताल सूचना प्रबंधन (Hospital Information Management), ABDM– अनुपालन तथा स्वास्थ्य संस्थानों के डिजिटल एकीकरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक उन्नत, Clinician-Friendly, Interoperable एवं Scalable Hospital Information Management System (HIMS) Framework विकसित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। <u>पृष्ठभूमिः</u> – 1. UPUMS, सैफई द्वारा दिनांक 07.03.2026 को उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष राज्य की डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ किए जाने हेतु एक उन्नत HIMS Framework का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 2. तत्पश्चात दिनांक 20.03.2026 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसके क्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 22.04.2026 को जारी कार्यवृत्त में UPUMS को इस पहल हेतु State Nodal Agency के रूप में कार्य करने तथा उपयुक्त मॉडल विकसित करने हेतु निर्देशित किया गया। 3. विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 28.03.2026 में भी इस विषय पर विचार किया गया तथा परियोजना की दिशा में आवश्यक कार्यवाही किए जाने का संज्ञान लिया गया। <u>कृत कार्यवाही/निष्कर्षः</u> – 1. परियोजना के तकनीकी, नैदानिक एवं परिचालन पक्षों के मूल्यांकन हेतु एक Technical Evaluation – Workflow

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	Assessment Committee गठित की गई, जिसमें विश्वविद्यालय के आंतरिक सदस्यों के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर के बाह्य विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किया गया। 2. बाह्य तकनीकी विशेषज्ञों के रूप में AIIMS Guwahati के श्री धीरन राय तथा JNMCH, AMU Aligarh के श्री समीर सईद को समिति में सम्मिलित किया गया। 3. समिति की बैठकें दिनांक 23.05.2026 एवं 13.06.2026 को आयोजित की गईं, जिनमें HIMS Framework, Clinical Workflow Requirements, Interoperability Requirements, Technical Specifications, Scope of Work तथा Request for Proposal (RFP) के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। 4. समिति द्वारा प्राप्त सुझावों एवं टिप्पणियों को सम्मिलित करते हुए RFP का परिष्कृत प्रारूप तैयार किया गया है तथा अंतिम तकनीकी परीक्षण एवं कार्यवृत्तों के औपचारिक अनुमोदन/अंतिमीकरण की कार्यवाही प्रगति पर है। 5. प्रस्तावित RFP के माध्यम से एक उपयुक्त Public Sector Undertaking (PSU) को Programme Implementation Agency (PIA) के रूप में चयनित किए जाने का प्रस्ताव है, जो उन्नत HIMS Framework के कार्यान्वयन, समन्वय, तकनीकी प्रबंधन एवं परियोजना संचालन से संबंधित कार्यों का दायित्व निर्वहन करेगी। 6. RFP के अंतिम रूप प्रदान किए जाने के उपरांत निविदा प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है। हॉस्पिटल बोर्ड के समक्ष निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया– 1. उन्नत Hospital Information Management System (HIMS) Framework के विकास एवं क्रियान्वयन के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही एवं प्रगति का संज्ञान ग्रहण किया जाए। 2. Programme Implementation Agency (PIA) के चयन हेतु तैयार किए जा रहे RFP एवं प्रस्तावित निविदा प्रक्रिया की प्रगति का संज्ञान ग्रहण किया जाए। 3. RFP के अंतिम रूप प्रदान किए जाने के उपरांत लागू नियमों एवं शासनादेशों के अनुरूप निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने की प्रस्तावित कार्यवाही को अभिलेखित किया जाए। प्रस्तावः – हॉस्पिटल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए उपर्युक्त प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– (1) उन्नत Hospital Information Management System (HIMS) Framework के विकास एवं क्रियान्वयन के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही एवं प्रगति के संबंध में मा0 कार्य परिषद अवगत हुई।

(2) Programme Implementation Agency (PIA) के चयन हेतु तैयार किए जा रहे RFP एवं प्रस्तावित निविदा प्रक्रिया की प्रगति के संबंध में मा0 कार्य परिषद अवगत हुई।

(3) RFP के अंतिम रूप प्रदान किए जाने के उपरांत लागू नियमों एवं शासनादेशों के अनुरूप निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने की प्रस्तावित कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 16–29 **दिनांक 25.04.2026 को सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक में एजेण्डा बिंदु–15–14 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुपालन में श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु तैयार किए गए आरोप पत्रों पर अनुमोदन के संबंध में।**	• अवगत कराना है कि दिनांक 26.02.2026 को केन्द्रीय पुस्तकालय में तैनात श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2 एवं श्री गौरव कुमार बाजपेई, लाइब्रेरियन क्लर्क के मध्य हुई मारपीट की जाँच हेतु कार्यालय आदेश दिनांक 09.03.2026 के द्वारा 04 सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया था। • उक्त गठित जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट को मा0 कार्य परिषद की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 में एजेण्डा बिंदु 15–14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। • मा0 कार्य परिषद द्वारा जाँच समिति की आख्या एवं निष्कर्ष के आधार पर दोषी कार्मिक (श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। साथ ही विभागीय जाँच प्रारम्भ करने हेतु जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किए गए थे। • उक्त निर्णय के अनुपालन में दोषी कार्मिक श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2 को दिए जाने वाले आरोप पत्र का आलेख तैयार किया गया है, जिसे मा० कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। • उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही हेतु कार्मिक को औपचारिक रूप से आरोप पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी (मा० कार्य परिषद) का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। **प्रस्तावः** मा0 कार्य परिषद की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 में एजेण्डा बिंदु 15–14 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुपालन में श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत तैयार किए गए आरोप पत्र का अवलोकन करते हुए आरोप पत्र पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2 के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत तैयार किए गए आरोप पत्र का अवलोकन करते हुए आरोप पत्र पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त आरोप पत्र संबंधित कार्मिकों को जारी किए जाने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया।	
टेबल एजेण्डा (मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)	
टेबल एजेण्डा–16.1(T) **उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल के Environmental Clearance एवं UPPCB NOC उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**	**प्रस्तावना–** अवगत कराना है कि उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल के Environmental Clearance एवं UPPCB NOC उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में दायित्व निर्धारण के संबंध में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 आई/1316504/2026/71–4099/ 692/2021 दिनांक 04.05.2026 के माध्यम से निर्देश जारी किये गये हैं। **पृष्ठभूमि–** अवगत कराना है कि शासनादेश सं0 2839/71–2–14–एस–20/2013 दिनांक 14.08.2014 में स्पष्ट निर्देश थे कि 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार संस्थान द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा तथा संस्थान द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा किन्तु विश्वविद्यालय स्तर पर एवं कार्यदायी संस्था द्वारा शासनादेश में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन न कराते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया एवं समय–समय पर कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जाती रही। उक्त परियोजना का लोकार्पण भी मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार/मा0 कुलाधिपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कर कमलों से दिनांक 06.03.2024 को किया जा चुका है। उक्त के संबंध में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 आई/1316504/2026/71–4099/ 692/2021 दिनांक 04.05.2026 के माध्यम से दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। **प्रस्ताव–** चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 आई/1316504/2026/71–4099/692/2021 दिनांक 04.05.2026 के माध्यम से दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन–** चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 आई/1316504/2026/71–4099/692/2021 दिनांक 04.05.2026 में उल्लिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत करने हेतु मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 आई/1316504/2026/71–4099/692/2021 दिनांक 04.05.2026 में उल्लिखित बिन्दुओं के अवलोकनोपरान्त कार्यवाही किये जाने हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।	
टेबल एजेण्डा–16.2(T) **विश्वविद्यालय के गैर–नीतिगत मामलों में रजिस्ट्रार (कुलसचिव) को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने हेतु डिप्टी–रजिस्ट्रार नामित किए जाने के संबंध में।**	• उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में रजिस्ट्रार (कुलसचिव) का कुल 01 (एक) पद स्वीकृत है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुल 05 (पाँच) संकाय संचालित हैं। विश्वविद्यालय के सुचारू रूप से संचालन, बढ़ते प्रशासनिक कार्यों के त्वरित निष्पादन तथा दैनिक गैर–नीतिगत मामलों में रजिस्ट्रार कार्यालय को सुदृढ़ बनाने हेतु अतिरिक्त प्रशासनिक सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। • मा0 कुलपति महोदय एवं रजिस्ट्रार (कुलसचिव) के निर्देशन व नियंत्रण में कार्य करने हेतु डॉ0 विक्रम सिंह राठौर, एसोसिएट प्रोफेसर, एनेस्थीसिया विभाग को विश्वविद्यालय के दैनिक एवं गैर–नीतिगत (Non-Policy) मामलों में प्रशासनिक सहायता प्रदान करने हेतु उनके पदीय दायित्वों के साथ डिप्टी–रजिस्ट्रार नामित किया जाना प्रस्तावित है। **प्रस्तावः** मा0 कुलपति महोदय एवं रजिस्ट्रार (कुलसचिव) के निर्देशन में गैर–नीतिगत मामलों में प्रशासनिक सहायता प्रदान करने हेतु डॉ0 विक्रम सिंह राठौर, एसोसिएट प्रोफेसर, एनेस्थीसिया विभाग को डिप्टी–रजिस्ट्रार नामित किए जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– गैर–नीतिगत मामलों में रजिस्ट्रार (कुलसचिव) को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने हेतु डॉ0 विक्रम सिंह राठौर, एसोसिएट प्रोफेसर, एनेस्थीसिया विभाग को उनके पदीय दायित्वों के साथ बिना किसी वित्तीय लाभ के डिप्टी–रजिस्ट्रार नामित किए जाने के प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

टेबल एजेण्डा–16.3(T) **विश्वविद्यालय के कार्मिकों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जाँच के क्रम में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित आरोप पत्रों को कुलसचिव के हस्ताक्षर से निर्गत/जारी करने हेतु अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**	• उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में विभिन्न प्रकरणों/शिकायतों के संबंध में समय–समय पर गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एवं विभिन्न जाँच समितियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जाँच आख्या के क्रम में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए सम्बन्धित कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय/अनुशासनिक जाँच हेतु प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। • उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार, विश्वविद्यालय के समस्त कार्मिकों (शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक) की नियुक्ति हेतु मा0 कार्य परिषद ही नियुक्ति प्राधिकारी हैं। • चूंकि मा0 कार्य परिषद ही नियुक्ति प्राधिकारी हैं, अतः विभागीय/अनुशासनिक जाँच के अंतर्गत आरोप पत्र मा0 कार्य परिषद की ओर से ही जारी किए जाने हैं। अतः प्रत्येक आरोप पत्र को व्यक्तिगत रूप से कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के उपरांत मा0 कार्य परिषद की ओर से कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षर कर उन्हें सम्बंधित दोषी कार्मिकों को निर्गत/जारी किए जाने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया जाना आवश्यक है। **प्रस्तावः** मा0 कार्य परिषद की ओर से, विभागीय जाँच के अंतर्गत प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए कार्मिकों के आरोप पत्रों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें नियमानुसार निर्गत/जारी करने हेतु कुलसचिव, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा को अधिकृत किए जाने हेतु मा0 कार्य परिषद स्वीकृति प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– विभागीय जाँच के अंतर्गत प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए कार्मिकों के आरोप पत्रों पर मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त, आरोप पत्रों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें नियमानुसार निर्गत/जारी करने हेतु कुलसचिव, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा को अधिकृत किए जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।	

कुलपति/अध्यक्ष–कार्य परिषद द्वारा बैठक के अंत में मा0 कार्य परिषद के समस्त सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(दीपक वर्मा)
कुलसचिव एवं सचिव–कार्य परिषद,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

(डॉ0 अजय सिंह)
कुलपति एवं अध्यक्ष–कार्य परिषद,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।